बिहार सरकार

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्य-सह वित्त मंत्री, बिहार

का

बजट भाषण

2010 - 2011

25 फरवरी, 2010

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ ।

- माननीय सदस्यगण, वर्त्तमान वर्ष विधानसभा की 5 वर्षीय अवधि का अंतिम वर्ष है। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष बजट उपस्थापित करते वक्त मैंने आपके सामने पूर्व वर्षों में राज्य सरकार की उपलब्धियाँ एवं आने वाले चुनौतियों की जानकारी रखी है। लेकिन अब जबकि वर्त्तमान सरकार का यह अंतिम बजट है, मैं पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए वर्ष 2010–11 का बजट अनुमान एवं वित्त विधेयक 2010 उपस्थापित करना चाहूँगा।
- पिछला 4 वर्ष चुनौतियों भरा रहा है। 2007 की भीषण बाढ़, 2008 की कोशी विभिषिका, 2009 में राज्य के 26 जिलों में सूखे का संकट, देश में व्याप्त आर्थिक मंदी (Economic Slowdown) के कारण केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी, छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के कारण अतिरिक्त 5 हजार करोड़ रूपए का बोझ, खाद्यान्न के खुदरा मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि से उत्पन्न महँगाई, केन्द्र से किसी प्रकार की अतिरिक्त सहायता प्राप्त न होना, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से वंचित करना जैसी अनेक कठिनाईयों के बावजूद बिहार में बदलाव आया है और पूरे देश में बिहार की सकारात्मक छवि बनी है। 'कभी बिहार सुधर नही सकता हैं' से निकलकर 'बिहार बदल सकता है,' 'बिहार बदल रहा है' तक पहुँचे है।
- वैश्विक आर्थिक मंदी के निराशाजनक माहौल के विपरीत केन्द्रीय साख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) के हाल के प्रकाशित आंक़ड़ों के अनुसार बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद Gross State Domestic Product, (GSDP) वर्ष 2004–05 से 2008–09 के बीच 11.00 प्रतिशत से ज्यादा की दर से बढ़ा है जो देश के राष्ट्रीय औसत से 3 प्रतिशत से अधिक है तथा गुजरात के साथ बिहार सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य साबित हुआ है। देश के जानेमाने अर्थशास्त्री श्री स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर ने बिहार को देश की नयी चमत्कारी अर्थव्यवस्था (Miracle economy) कहा तो विश्व प्रसिद्ध News Week पत्रिका ने 'From Worst to near First' शीर्षक से बिहार की प्रगति पर लेख लिखा है।
- विकास दर के आँकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा निर्धारित प्रारूप और पद्धति

से राज्य सरकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। इन आँकड़ों में दो तिहाई आँकड़े स्वयं CSO, Indian Bureau of Mines, Nagpur, Report of Annual Survey of Industries, CSO, New Delhi द्वारा प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकार उपरोक्त सूत्रों से आँकड़े संग्रह कर CSO को भेजती है। CSO उन आँकड़ों की प्रामणिकता पर सहमति प्रदान करता है तभी वे ऑकड़े अन्तिम रूप से प्रकाशित होते हैं। राज्य को जो विकास दर हासिल हुई उसमें निर्माण क्षेत्र में 38.13 प्रतिशत, संचार में 17.34 प्रतिशत तथा व्यापार होटल प्रक्षेत्र में 17.33 प्रतिशत उल्लेखनीय है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान भी 25 प्रतिशत से ज्यादा था।

- 11.00 प्रतिशत से ज्यादा का विकास दर हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। संयुक्त बिहार में वर्ष 1990–91 में जहाँ राज्य का अपना कर राजस्व (Tax Revenue) मात्र 1015.92 करोड़ था वहीं विभाजित बिहार का 2001–02 में 2318.95 करोड़ रूपए था । कर संग्रह विभागों वाणिज्यकर, उत्पाद एवं निबन्धन, परिवहन, आदि में व्यापक सुधार एवं नए प्रयास के परिणामस्वरूप 2001–02 की तुलना में 5 गुणा वृद्धि करते हुए वर्ष 2010–11 10,643.93 करोड़ कर राजस्व संग्रह का अनुमान हैं।

- संविधान की धारा 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग 5 वर्षों के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से तथा भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के बारे में अनुशंसा करता है। साधारणतया केन्द्र सरकार आयोग की अनुशंसा को पूर्णतया लागू करती है। केन्द्र में किसी भी दल की सरकार हो परन्तु वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करना संवैधानिक बाध्यता है। 12 वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में बिहार को 11.028 प्रतिशत देने की अनुशंसा की थी। बिहार 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पूर्ण पालन करते हुए अधिकांश अनुशंसित राशि लेने में सफल रहा है।

- **13 वें वित्त आयोग** ने 2010–15 की अवधि के लिए अपना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को समर्पित कर दिया है। 25 फरवरी, 2010 को संसद के समक्ष आयोग के प्रतिवेदन को रखा जाएगा। बिहार की ओर से सर्वदलीय संयुक्त ज्ञापन और राज्य सरकार के ज्ञापन द्वारा 13 वें वित्त आयोग से माँग की गयी है कि 2015 तक प्रति व्यक्ति विकास व्यय (Development expenditure) राष्ट्रीय औसत के समतुल्य पहुँचने के लिए बिहार को 3.8 लाख करोड़ की सहायता की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने आयोग से मांग की है कि केन्द्रीय करों में 50 प्रतिशत की राशि राज्यों के बीच बाँटी जाए और इस राशि के वितरण का नया मापदंड ऐसा हो कि बिहार जैसे राज्य को अधिक से अधिक संसाधनों की प्राप्ति हो सके। इसके अतिरिक्त पंचायतों के भवन निर्माण हेतु

1000 करोड़, नदियों को जोड़ने के लिए 400 करोड़, राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा तथा पटना में एक विश्वस्तरीय म्यूजियम की स्थापना हेतु 300 करोड़, बिहार पुलिस एकेडमी के भवन निर्माण तथा पुलिसकर्मियों होमगार्ड के आवास/बैरक की स्थापना हेतु 300 करोड़ की राशि माँगी गई है। हम आशान्वित है कि 13 वाँ वित्त आयोग इन न्यायसंगत माँगों पर अवश्य विचार किया होगा।

- **खाद्य पदार्थों की मूल्य वृद्धि** भी एक बड़ी चुनौती है जिसके नियंत्रण पर राज्य सरकार की भूमिका बहुत सीमित होती है फिर भी राज्य सरकार ने Stock limit लागू करने, कालाबाजारी और जमाखोरी के विरूद्ध अभियान, सस्ते दर पर अनाज बिक्री की व्यवस्था जैसे कारगर कदम उठाएं हैं। बिहार की लेवी चीनी का कोटा महाराष्ट्र की चीनी मिलों से सम्बद्ध कर दिया गया। महाराष्ट्र की कई अस्तित्वविहिन, या बन्द पड़ी चीनी मिलों से सम्बद्ध करने के कारण बिहार का 3.40 लाख टन चीनी का कोटा व्ययगत (Lapse) हो गया। केन्द्र ने 30 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का कोटा आवंटित किया जिससे जनवरी और फरवरी माह में 10 किलों अतिरिक्त अनाज प्रत्येक कार्डधारी को दिया जा सके। परन्तु इस अतिरिक्त खाद्यान्न का मूल्य बी०पी०एल० या अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत विक्रय खाद्यान्न के मूल्य से इतना ज्यादा है कि गरीब इसका लाभ नहीं उठा पायेंगे।
- मुद्रा स्फीर्ति की दर में वृद्धि मुख्यतः केन्द्र सरकार की वित्तीय और मौद्रिक (Fiscal and Monetary) नीति तथा आयात–निर्यात की नीति पर निर्भर करती है । महँगाई के लिए यद्यपि राज्य सरकार जिम्मेवार नहीं है फिर भी यह राज्य की अर्थव्यवस्था को दो तरह से प्रभावित करती है। पहला मुद्रास्फीती के कारण सरकारी योजनाओं की प्राक्कलित राशि बढ़ जाती है तथा कर्मचारियों के Dearness Allowance महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण वेतन व्यय बढ़ जाता है। दूसरा खाद्यान्न के मूल्य वृद्धि के कारण गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाओं का सकारात्मक परिणाम न्यून हो जाता है।
- केन्द्रीय कर्मियों के लिए छठे वेतन आयोग की अनुशंसा प्राप्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के लिए भी इसे लागू करना बाध्यता थी। राज्य सरकार ने जनवरी' 2009 में ही यह वेतनमान तदर्थ रूप से उपलब्ध करा दिया और वर्ष के अंत में अंतिम रूप से वेतन, भत्ते एवं पेंशन सभी आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से माँग की थी कि छठे वेतमनमान लागू करने के कारण अतिरिक्त बोझ का 50 प्रतिशत केन्द्र वहन करें। केन्द्र के असहयोग और आर्थिक मंदी (economic slowdown) के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारी हित में छठे वेतनमान को लागू किया है। यद्यपि राज्य की वित्तीय स्थिति इतने बड़े बोझ को उठाने की नहीं थी, तथापि कर्मचारी हित में इसे उठाने का निर्णय लिया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2009–10 में छठे वेतनमान लागू करने के कारण वेतन मद में लगभग 3 हजार 511 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ रहा है। वर्ष 2008–09 में वेतन मद में 7601.16 करोड़ व्यय हुए थे, वह वर्ष 2009–10 में बढ़कर पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 10,475.85 रूपए हो गया है। वर्ष 2010–11 में वेतन मद में 10,795.09 करोड़ व्यय होंगे। उसी प्रकार पेंशन मद में लगभग 1248.75 करोड़ अतिरिक्त व्यय होंगे। वर्ष 2008–09 में पेंशन मद में व्यय 3479.00 करोड़ था वह वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 4727.76 करोड़ है तथा वर्ष 2010–11 में 5873.47 करोड़ खर्च का अनुमान है।

- वेतन और पेंशन को कुल मिलाकर वर्ष 2008–09 की तुलना में वर्ष 2010–11 में 5588.40 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वर्ष 2008–09 में कुल व्यय 11080.16 करोड़, वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार 15203.61 करोड़ तथा वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान के अनुसार 16668.26 करोड़ होगा।

- वेतन समिति की अनुशंसा के अनुरूप स्वीकृति वेतनमान पर विभिन्न सेवा संघों की आपत्तियों पर विचार करने हेतु श्री एस० विजयराघवन, सेवानिवृत भा०प्र०से० की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय सरकार ने लिया है जो तीन माह में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगी।

- बिहार सरकार पर एक आरोप यह भी लगता था कि यह **केन्द्रीय मदद नहीं ले पाती है** क्योंकि इसमें खर्च करने की क्षमता नहीं हैं। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश का प्रावधान नहीं कर पाना, समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भेज पाना, समय पर किस्त (instalment) प्राप्त करने के लिए दावा नहीं कर पाना आदि अनेक कारण थे जिसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों की तुलना में हम केन्द्र से कम पैसा ले पाते थे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जहाँ वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में प्रति वर्ष केवल 302.0 करोड़ ही ले पाये थे, वहीं वर्ष 2006–07 में 1026.29 करोड़, वर्ष 2007–08 में 1326.10 करोड़ एवं वर्ष 2008–09 में 1659.24 करोड़ प्राप्त करने में सफल रहे। वर्ष 2009–10 में हमने राज्यांश राज्य योजना एवं गैर योजना मिलाकर 1203.45 करोड़ का प्रावधान किया है। केन्द्र सरकार ने मात्र 1300 करोड़ ही दिया है और अब अधिक राशि केन्द्र नहीं दे पा रहा है क्योकि **सर्व शिक्षा अभियान** में उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। 'कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय' हेतु वर्ष 2005–06 में 11.15 करोड़, वर्ष 2006–07 में 16.83 करोड़ ले पाए थे वहीं वर्ष 2007–08 में 51.37 करोड़ एवं वर्ष 2008–09 में 166.14 करोड़ लेने में सफल रहे ।

  इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में 535.23 करोड़ केन्द्र से ले पाए थे

वहीं वर्ष 2008–09 में 1477.17 करोड़ लेने में सफल रहे । ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को मिलाकर वर्ष 2005–06 में 1521.27 करोड़ ले पाए थे वहीं वर्ष 2008–09 में 3109.47 करोड़ केन्द्रीय सहायता लेने में सफल रहें । यह केन्द्र कि दरियादिली नहीं बल्कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण हम केन्द्र से अधिक से अधिक पैसे लेकर खर्च कर पाए । आगे आने वाले वर्षों में इसमें और अधिक सुधार दिखाई पड़ेगा ।

वृहद आर्थिक सिंहावलोकन (Macro Economic Overview)

- वर्ष 2010–11 का **राज्य योजना** आकार 20 हजार करोड़ केन्द्र प्रायोजित एवं केन्द्रीय योजना गत योजना में 4075.68 करोड़ तथा गैर योजना में 29682.38 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है । कुल बजट 53 हजार 758 करोड़ 56 लाख रूपए का है । वर्त्तमान सरकार ने 24 नवम्बर' 2005 को जब कार्यभार सम्भाला था तो वर्ष समाप्त होने में मात्र 4 माह बचे थे, फिर भी 4490.80 करोड़ रूपए राज्य योजना में व्यय हुए थे। परन्तु उसके बाद के वर्ष 2006–07 में 8459.18 करोड, वर्ष 2007–08 में 9700.25 करोड़, वर्ष 2008–09 में 12,335.90 करोड़ और वर्ष 2009–10 में 16 हजार करोड़ का प्रावधान है ।

  वर्त्तमान सरकार के पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर हम लगभग 70 हजार करोड़ से अधिक व्यय राज्य योजना के अन्तर्गत कर चुकें होंगे ।

- वर्ष 2010–11 के 20 हजार करोड़ के राज्य योजना अन्तर्गत **पथों के निर्माण** (में ग्रामीण कार्य विभाग सहित) पर **4906.93** करोड़ व्यय होगा जो कुल राज्य योजना का **24.54** प्रतिशत है । 2022.47 करोड़ सिंचाई (जल संसाधन एवं लघु जल संसाधन मिलाकर) पर व्यय होगा जो राज्य योजना का 10.11 प्रतिशत है । **मानव संसाधन विकास विभाग** 2500 करोड़ व्यय करेगा जो योजना का 12.50 प्रतिशत है । **समाज कल्याण**, **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा/ अल्पसंख्यक कल्याण** पर राज्य योजना का **9.77** प्रतिशत **1953.51** करोड़ व्यय होंगे । उसी प्रकार **कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज** आदि पर कुल 3228.65 करोड़ रू० जो कुल राज्य योजना का 16.15 प्रतिशत है व्यय होगा ।

- वर्ष 2010–11 के 53 हजार 758.56 करोड़ के बजट में **राजस्व व्यय** 40678.36 करोड़ तथा **पूँजीगत व्यय** 13,080.19 करोड़ अनुमानित है । वर्ष 2005–06 में कुल बजट 28,976.40 करोड़ का था जिसमें राजस्व व्यय 20,575.23 करोड़ तथा पूँजीगत परिव्यय 8,401.17 करोड़ था ।

- वर्ष 2010–11 में कुल **राजस्व आय** 47,235.06 करोड़ अनुमानित है जिसमें **राज्य की**

अपनी आय 11,850.67 करोड़, **केन्द्रीय करों में राज्यांश** 23,600.17 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से **अनुदान** मद में 11,784.22 करोड़ प्रस्तावित है ।

- वर्ष 2010–11 में कुल **राजस्व व्यय** 40,678.36 करोड़ अनुमानित है जिसमें वेतन मद में 10,795.09 करोड़ **पेंशन** मद में 5,873.47 करोड़, पूर्व में लिए गए **ऋणों पर ब्याज** मद में 4,513.10 करोड़, **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** को 1,080.00 करोड़ रूपए अनुदान और **विश्वविद्यालयों** को 1071.69 करोड़ रूपए का अनुदान शामिल है ।
- राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय वहन करने के पश्चात शेष बचत 6,556.70 करोड़ रूपए अनुमानित है, जिसका उपयोग पूँजीगत परिव्यय (Capital Outlay) में किया जाएगा।
- वर्ष 2010–11 में कुल 6500.88 करोड़ रूपए का **ऋण** लिया जाना प्रस्तावित है जिसमें 1,405.00 करोड़ **वाह्य संपोषित परियोजनाओं** के लिए, 1,200 करोड़ रूपए **राष्ट्रीय लघु** बचत के विरूद्ध निर्गत की गई प्रतिभूतियों से 785.29 करोड़ रूपए नाबार्ड से तथा 3,105.07 करोड़ रूपए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से **बाजार ऋण** (market borrowing) के रूप में प्रस्तावित है।

वाह्य सम्पोषित परियोजनाओं हेतु ऋण

- विकास कार्यों के लिये राज्य सरकार ने सस्ते ब्याज दर एवं लंबी अवधि में भुगतान करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों यथा Asian Development Bank, Department for International Development (DFID) UK, विश्व बैंक (WB), International Development Association, International Bank Reconstruction and Development, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी (JICA) से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।
- वाह्य संपोषित परियोजना (Externally aided Project) हेतु 2005–06 से 2009–10 तक 1274.41 करोड़ रूपये अनुदान एवं ऋण के रूप में प्राप्त हुये है, जिसमें मुख्य रूप में बिहार राज्य के उच्च पथ परियोजना हेतु Asian Development Bank से ऋण के रूप में 256.04 करोड़ तथा विश्व बैंक द्वारा Bihar Development Policy Loan हेतु 651.31 करोड़ रू० एवं 335.70 करोड़ रू० ऋण प्राप्त हुये है।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में बाह्य संपोषित परियोजनाओं में कुल 1588.47 करोड़ रू० प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिसमें 1405 करोड़ रूपये ऋण के रूप में तथा 183.47 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। इस राशि से बिहार राज्य उच्च पथ फेज–1 और फेज–2 के लिये क्रमशः 821 करोड़ रू० एवं 344 करोड़ रू०। बिहार उर्जा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रू०, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन हेतु 120 करोड़ रू० तथा

Agri Business Infrastructure Development Project हेतु 20 करोड ऋण के रूप में शामिल है। अनुदान के रूप में Support Programme For Urban Reforms (SPUR) हेतु 40 करोड़ रू०, E-Governence & Administration Reforms हेतु 23 करोड़ रू०, Support Health & Neutralization in Bihar 100 करोड़ रूपये, Bihar Panchayat Strengthening Project 10.47 करोड़ रू० एवं Bihar Urban Development Project 10 करोड़ रूपये शामिल हैं।

- वित्तीय वर्ष 2009-10 में भारत फ्रांस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रांस की विकास ऐजेंसी (AFD) का 485 करोड़ रूपये 126 मेगावाट डगमारा जल विद्युत परियोजना एवं सामाजिक सुरक्षा सृदृढीकरण परियोजना के तकनीकी सहायता हेतु लगभग 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली के माध्यम से भेजा गया है।
- नाबार्ड द्वारा 2005-06 से 2009-10 तक कुल 1450.89 करोड़ रूपये ऋण के रूप में प्राप्त हुए हैं जिसमें वर्ष 2005-06 में 120.74 करोड़ रू0, 2006-07 में 201.13 करोड़ रू०, 2007-08 में 296.96 करोड़ रू०, 2008-09 में 495.17 करोड़ रू०, 2009-10 में अभी तक 336.98 करोड़ रूपये प्राप्त हुये हैं। लगभग 500 करोड़ रूपये नाबार्ड संपोषित परियोजनाओं में व्यय के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि के रूप में दिये जाने का लक्ष्य है। नाबार्ड से लिये जाने वाले ऋण पर लगने वाले वर्तमान ब्याज दर 6.50 प्रतिशत है, जो बाजार से उगाही किये जाने वाले ऋण की ब्याज-दर से काफी कम है।

बैकिंग सेवा

- राज्य के बैकों का साख जमा अनुपात वर्ष 2000–01 में 23 प्रतिशत था जो वर्ष 2006–07 में बढ़कर 33.81 प्रतिशत तक पहुँचा लेकिन फिर घटकर वर्ष 2008–09 में 28.96 पर पहुँच गया । सितम्बर’ 09 तक बिहार के बैंकों में 93,244.43 करोड़ रूपए जमा थे वहीं 30,412 करोड़ का ऋण था ।
- राज्य के 6 जिले भोजपुर, लक्खीसराय, सारण, सीवान, मुंगेर, दरभंगा का साख जमा अनुपात 25 प्रतिशत से कम है तथा 7 जिले मुजफ्फरपुर, अररिया, कैमूर, कटिहार, प. चम्पारण, पूर्णियां, किशनगंज का साख जमा अनुपात 40 प्रतिशत से ज्यादा है ।
- राज्य सरकार के निरन्तर प्रयास के कारण वार्षिक साख योजना (Annual Credit Plan) यानि बैंक द्वारा राज्य में दिए जाने वाला ऋण 2005–06 में 6055.42 करोड़ था वह वर्ष 2008–09 में बढ़कर 13,547.95 करोड़ हो गया । वर्ष 2009–10 का लक्ष्य 21,127.79 करोड़ है तथा वर्ष 2010–11 में 32 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- Education Loan में वर्ष 2006–07 में 6328 छात्रों को 174.51 करोड़ का ऋण दिया गया था वहीं वर्ष 2008–09 में 23,330 छात्रों को 576.45 करोड़ ऋण दिया गया । वर्ष 2009–10 में सितम्बर' 2009 तक 10,563 छात्रों को 362.38 करोड़ दिया जा चुका था।
- किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 3.18 लाख किसानों 860 करोड़ रूपए ऋण दिया गया था वहीं वर्ष 2008–09 में 8.96 लाख किसानों को 3112 करोड़ का ऋण दिया गया । वर्ष 2009–10 में 15 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य रखा गया है ।
- वर्ष 2011 तक 2000 की आबादी वाले सभी गाँवों में सप्ताह में कम से कम एक दिन बैकिंग सुविधा पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है । यह कार्य Branchless Banking तथा Business Correspondent के द्वारा किया जाएगा । राज्य के PACS तथा IT का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ।
- वर्ष 2010–11 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector के लिए 22 हजार 159 करोड़ रूपए. ऋण की योजना NABARD ने तैयार की है जिसमें 11 हजार 968 करोड़ रूपए अल्पकालीन कृषि ऋण तथा 3899 करोड़ कृषि क्षेत्र के Term Loan के लिए है ।

अब मैं आगामी वर्ष में कार्यान्वित होनेवाले कार्यक्रमों को विभागवार प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पथ निर्माण विभाग

पथ प्रक्षेत्र – पथ निर्माण विभाग का वर्ष 2005–06 का वास्तविक व्यय 261.64 करोड़ था। वर्ष 2010–11 में 3555.02 करोड़ का उपबंध है जो वर्ष 2005–06 की तुलना में 1258.75 प्रतिशत ज्यादा है। ग्रामीण कार्य विभाग का योजना उद्व्यय वर्ष 2010–11 का 1351.92 करोड़ है। पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग मिलकर 4906.94 करोड़ रूपये राज्य की सड़कों पर व्यय करेंगे। गैर योजना मद में पथों के अनुरक्षण पर भी काफी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

वर्ष	उपबंधित राशि (करोड़)	व्यय का प्रतिशत
2004–05	318.47	42.03%
2005–06	648.03	40.62%
2006–07	1790.99	92.85%
2007–08	2250.97	98.88%
2008–09	2501.65	99.50%
2009–10	2648.57	95% Jan 2010 तक व्यय

- राज्य के अन्तर्गत 3734.00 कि० मी० **राष्ट्रीय राजमार्ग** है, जिसमें 799.00 कि०मी० में एन०एच०डी०पी० के अन्तर्गत एन०एच०ए०आई० द्वारा 4–लेन का कार्य कराया जा रहा है । शेष 2935.00 कि०मी० एन०एच० का रख–रखाव राज्य सरकार एजेन्सी के रूप में करती है ।
- भारत सरकार द्वारा एन०एच० के रख–रखाव हेतु पर्याप्त राशि नही दिये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा राज्य निधि से अबतक कुल 711.97 करोड़ की लागत पर कुल 1951.00 कि०मी० पथांशों के उन्नयन कार्य की स्वीकृति दी गयी है, जिसके विरूद्ध अबतक 1522.57 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथों का उन्नयन पूर्ण किया जा चुका है तथा 428.43 कि०मी० में कार्य प्रगति में हैं, जिन्हें जून 2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । राज्य सरकार द्वारा अद्यतन 608.61 करोड़ रू० का व्यय राष्ट्रीय उच्च पथों पर किया जा चुका है । राष्ट्रीय उच्च पथों को 4–लेन करने की दिशा में राज्य सरकार अपनी ओर से पहल कर रही है ।
- पूर्व से राज्य में 2035.00 कि०मी० के **राज्य उच्च पथों** के अतिरिक्त 1880.00 कि०मी० नवघोषित राज्य उच्च पथों को आधुनिक मानकों के अनुसार दो लेन हाईवे में परिणत करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है । पूर्व के 2035.00 कि०मी० राज्य उच्च पथों को 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के अन्तर्गत दो.लेन करने हेतु कुल 2916.42 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त की गई तथा कार्यान्वयन CPWD एवं IRCON के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें अबतक 2494.42 करोड़ रूपये व्यय किये गये हैं । अबतक कुल 1234.72 कि०मी0 का कार्य पूर्ण है । शेष पथ कार्य को मार्च 2010 एवं पुल/पुलिया को जून 2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
- राज्य में अवस्थित 8156.00 कि०मी० वृहद् जिला पथ को इन्टरमिडिएट लेन में उन्नयित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत अबतक कुल 3738.39 करोड़ रूपये की लागत से कुल 7206.00 कि०मी० की स्वीकृति प्रदान की गई है । अबतक कुल 4797.92 कि०मी० का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति में है, जिसे जून 2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।
- राज्य के दूर–दराज विशेषकर ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए **'मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना'** के तहत विभिन्न पथों पर वृहद्/लघु पुलों के निर्माण की शुरूआत की गई । कुल कार्यान्वित 2467 योजनाओं में अबतक 1438 योजनाएँ पूर्ण की चुकी हैं तथा शेष को अक्टूबर 2010 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है । वर्ष 2010–11 में 400 करोड़ का बजट उपबंध है।

- 217.42 करोड़ रू० की लागत से गोपालगंज के बिशुनपुर में गंडक नदी पर पुल, 99.00 करोड़ की लागत से अरवल–सहार के बीच सोन नदी पर पुल, 53.30 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी के ढ़ेंगघाट पुल, सीतामढ़ी–शिवहर में पीपराही (56.42 करोड़) तथा मांडर घाट (42.27 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त दरभंगा में रसियारी घाट तथा समस्तीपुर में लरझा घाट पुल का निर्माण भी पूर्ण होने की स्थिति में है ।
- सहरसा–दरभंगा के बीच कोशी नदी पर बलुआहा घाट पुल, दरभंगा में अरई नदी पर पुल तथा बगहा–धनहा के बीच गंडक नदी पर रतवल घाट पुल का कार्य प्रारंभ किया गया है ।
- महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर बख्तियारपुर–पटोरी के बीच गंगा नदी पर फोर लेन उच्च स्तरीय पुल, आरा–छपरा के बीच पुल तथा विजय घाट पुल के निर्माण पर भी निर्णय विचाराधीन है ।
- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा कुल 300 बृहद पुल एवं 150 लघु पुलों का निर्माण हुआ है। निगम द्वारा पूर्ण किये गये महत्वपूर्ण पुल, यथा–लोहिया सेतु (भागलपुर), कटौझा पुल (सीतामढ़ी), डुब्बाघाट पुल (सीतामढ़ी), झौआघाट पुल (कटिहार), लाभा पुल (कटिहार), लोकनायक सेतु (पटना), कंकड़बाग फ्लाई ओभर (पटना), वीर कुँवर सिंह सेतु (आरा), शिवहर–मीनापुर–झपहा पथ के पहले, नौवे, दसवें एवं पन्द्रहवें कि०मी० में पुलों का निर्माण हुआ है।
- पथ कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु **बिहार राज्य पथ विकास निगम** की स्थापना की गयी है । इण्डियन रोड कांग्रेस ने प्लेटिनियम जुबली सत्र का नवम्बर' 2009 में आयोजन किया था। e-tendering की व्यवस्था लागू की गयी तथा गुणवत्ता सुधार हेतु Quality Lab की स्थापना की गयी है ।
- On-line monitoring एवं Toll-Free Help Line व्यवस्था लागू की गयी है।

ग्रामीण कार्य विभाग

विगत चार साल में जनवरी 2010 तक राज्य योजना से लगभग 2467.01 करोड़ रूपये व्यय कर 6059.45 कि.मी. पथों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। विगत चार वर्षों में **'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'** से 3679.37 करोड़ रूपये व्यय कर 6700.75 कि०मी० एवं 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' अर्न्तगत 16.07 करोड़ रूपये व्यय कर 48.07 कि०मी० सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है। इस प्रकार राज्य में पिछले चार वर्षों में 12808.27 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है। इसके साथ ही 511.20 करोड़ रूपये व्यय कर कुल 3225 कि०मी० पथों की मरम्मती के कार्य पूर्ण किये गए।

- संप्रति राज्य में 36554.00 कि०मी० सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 में '**मुख्यमंत्री ग्रामीण सम्पर्क पथ योजना**' के लिए 260 करोड़ रू० का उपबंध किया गया है। 'योजना शीर्ष 4515' के अधीन 1330 कि०मी० पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार/पुलों के निर्माण पर 274.92 करोड़ रू० व्यय होंगे । इसी शीर्ष में नाबार्ड योजना अन्तर्गत 184.90 करोड़ रू० की लागत से 1550 कि०मी० पथों का निर्माण कार्य किया जाएगा।
- '**आपकी सरकार आपके द्वार**' कार्यक्रम के अन्तर्गत उग्रवाद प्रभावित 7 जिलों के 24 प्रखण्ड की 67 पंचायतों में सड़क–सम्पर्कता प्रदान करने एवं 'पंचायत-सरकार-भवन' बनाने हेतु चयन कार्य किया गया है। इसके अन्तर्गत 258.67 करोड़ रू. की लागत से 593.42 कि०मी० पथ एवं 67 पंचायत-सरकार-भवनों का निर्माण चल रहा है। वर्ष 2009-10 में तृतीय अनुपूरक से 80 करोड़ रू० एवं वर्ष 2010-11 में 49 करोड़ रू० का बजट उपबन्ध किया गया है।
- गैर योजना मद में सड़क/पुल-पुलियों के अनुरक्षण कार्यों के लिए 624.00 करोड़ रू० की राशि से लगभग 2000 कि०मी० पथों का अनुरक्षण किया जाएगा।
- **'प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना'** के 94 कार्य-प्रमण्डलों का PIU नियुक्त किया गया एवं दर पूर्ण निर्धारण तथा लागत Neutralisation का प्रावधान किया गया।
- **'Bihar Rural Road Development Agency'** का गठन कर क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है
- राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, तथा मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर सभी पथों का दायित्व ग्रामीण कार्य विभाग के जिम्मे है ।
- **Bitumen Price Neutralisation (F_2)** आधारित एकरारनामा लागू किया गया है।
- **E-Processing** द्वारा निविदा कार्य प्रारम्भ है एवं 133 Bid 10 दिनों में पूर्ण किया गया है।

जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग का वास्तविक योजना व्यय वर्ष 2005–06 में 540.08 करोड़ था । वर्ष 2010–11 में 1800.76 करोड़ का योजना उपबंध है जो वर्ष 2005–06 की तुलना में 233 प्रतिशत ज्यादा है ।

- दिनांक 19 दिसम्बर 2009 से **गंडक बराज एवं पूर्वी गंडक नहर प्रणाली** के पुनर्स्थापन कार्य का शुभारंभ किया गया। 448.53 करोड़ की लागत से पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर तथा वैशाली जिले के 3.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिचाई क्षमता पुनर्स्थापित हो सकेगी।

- 25 दिसम्बर 2009 से **पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी तटबंधों** का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं तटबंधों पर पक्की सड़क का निर्माण–कार्य, पश्चिमी कोशी नहर एवं तटबंधें पर पक्की सड़क का निर्माण–कार्य, पश्चिमी कोशी नहर योजना का शेष कार्य, भूतही नदी की बाढ़ से सुरक्षात्मक योजना, सुगरवे नदी पर वीयर निर्माण कार्य तथा सिंचाई भवन, निर्मली के कार्यों का शुभारंभ किया गया।

- **'राज्य जलनीति 2009'** के प्रारूप को वेबसाईट पर डाला गया है। शीघ्र ही 'राज्य जलनीति 2010' को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

- **'दुर्गावती जलाशय योजना'** में वनभूमि अपयोजन संबंधी क्षतिपूर्ति के रूप में 41.70 करोड़ रूपये का भुगतान कर कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की गई है।

- **बागमती, महानन्दा** एवं **चानन नदियों** के **बाढ़ प्रबंधन** की योजनायें, जिनकी लागत राशि क्रमशः 792.00 करोड़, 603.88 करोड़ एवं 147.69 करोड़ रूपये है, में बागमती नदी बाढ़ प्रबंधन योजना पर कार्यारम्भ करा दिया गया है। महानन्दा एवं चानन बाढ़ प्रबंधन योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष में कार्यारम्भ का लक्ष्य निर्धारित है। इन योजनाओं में 1535 कि०मी० नये तटबंध का निर्माण तथा 593 कि०मी० पूर्व निर्मित तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य सम्मिलित है, जिनके माध्यम से 25.84 लाख बाढ़ प्रवण क्षेत्र की सुरक्षा होगी ।

- **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम** की 35 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का 848.00 करोड़ रू० की लागत से कार्यारंभ कराया गया है । उक्त योजनाओं मे कोशी नदी पर अवस्थित तटबंध सड़क–निर्माण एवं भूतही बलान नदी के तटबंधें का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण कार्य प्रमुख है । इन योजनाओं को 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

- **जमींदारी बांधों** के हस्तांतरण के उपरांत प्रथम चरण में 244.12 करोड़ रूपये की लागत से 1183.12 कि०मी०, द्वितीय चरण में 189.39 करोड़ रूपये से 1107.87 कि०मी० एवं तृतीय चरण में 76.16 करोड़ रूपये की लागत से 263.27 कि०मी० तटबंधों का पुनर्स्थापन कार्य प्रगति पर है ।

- ग्रामीण भागों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु **नाबार्ड** की सहायता से विभिन्न नदियों स्थित तटबंधों के 190.00 कि०मी० की लम्बाई में 119.22 करोड़ रूपये

की लागत से सड़क निर्माण कार्य की योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है ।

- वर्ष 2010 बाढ़ पूर्व **राज्य योजना मद** अन्तर्गत विभिन्न नदियों के तटबंधों के संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षात्मक कार्य / ग्राम्य / शहर सुरक्षात्मक कार्यो की 364 अदद योजनाओं की 213.07 करोड़ रूपये की लागत से कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है ।
- वर्ष 2009–10 में गंगा नदी से **कटाव निरोधक** कार्यो पर 640 करोड़ व्यय की सम्भावना है । वर्ष 2010–11 में 760 करोड़ रू० व्यय का प्रस्ताव है ।

लघु जल संसाधन विभाग

लघु जल संसाधन विभाग की राज्य योजना का वर्ष 2005–06 में वास्तविक व्यय 152.91 करोड़ था जिसे वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर 221.71 करोड़ रू. किया गया है।

- राज्य की परम्परागत सिंचाई की आहर / पईन / सिंचाई तालाबों की योजनाओं के व्यापक पुनरूद्धार हेतु पटना / मगध / मुंगेर एवं भागलपुर प्रमंडलान्तर्गत कुल 17 जिलों में करीब 1,000 आहर–पईनों / सिचांई तालाबों के पुनर्स्थापन का ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन का लक्ष्य है । **''मगध एवं अंग सिंचाई योजना''** एवं **''मुख्य मंत्री आहर–पईन पुनरूद्धार योजना''** के नाम से जानी जाने वाली इन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 20000 आहर–पईनों / सिंचाई तालाबों के व्यापक पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण हेतु करीब 2400.00 करोड़ रूपये के योजना–प्रस्ताव पर बाह्य परामर्शी संस्थाओं द्वारा विस्तृत–योजना–प्रतिवेदन (D.P.R) तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य संसाधन से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 6511.00 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है, जिसमें 55 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता विकसित होगी ।
- लगभग 100 अद्द पुराने असफल राजकीय नलकूपों का पुर्नस्थापन कार्य कराकर ह्रासित आठ हजार हेक्टेयर सिंचित क्षमता पुनर्स्थापित हेतु 7.34 करोड़ रूपये प्रस्तावित है ।
- लगभग 400 अद्द पुराने राजकीय नलकूपों का पुर्नस्थापन किया जायेगा, जिससे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित करने के लिये नाबार्ड से फेज–दो के अंतर्गत 61.50 लाख व्यय किया जायेगा ।
- सुखाड़ोन्मुख जिलों में 55 करोड़ की लागत से 32 जिलों में सतही योजनाओं का

कार्यान्वयन कराया जायेगा, जिससे लगभग 8 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी ।

- राज्य के गया, जहानाबाद, पटना, रोहतास एवं कैमूर जिलों में 20 मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन हेतु 'वाटरबडीज योजना' का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, जिससे लगभग 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई–क्षमता विकसित होगी ।
- **'बिहार भू–जल सिंचाई योजना'** के अंतर्गत कुल 4.64 लाख यूनिट नलकूप/सिंचाई को डीजल, विद्युत चालित पंप सेट सहित का कार्यान्वयन होगा, जिससे राज्य में 9.28 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा । वर्ष 2009–10 में 57 हजार 111 के विरूद्ध लगभग 22 हजार स्वीकृत आवेदनों के विरूद्ध लगभग 10 हजार लाभुकों में ऋण वितरित किया जा चुका है ।

आपदा प्रबंधन विभाग

- संभावित बाढ़ 2010 से निपटने के लिये तैयारी प्रारंभ कर दी गई है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जिलों में सरकारी नावों की उपलब्धता, पॉलिथिन शीट्स का भंडारण, जिलों को मोटर वोट, लाइफ जैकेट एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराना शामिल है । इसके अतिरिक्त बाढ़ में डूबते हुये लोगों को बचाने के लिये गोताखोरों की आवश्यकता को देखते हुए तैराकी एवं बचाव का विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है, जिससे बाढ़ आने के पूर्व राज्य में प्रशिक्षित गोताखोरों का डाटा–बेस तैयार हो जायेगा ।
- **क्षमता निर्माण** – आपदाओं से निपटने के लिये सरकारी पदाधिकारियों तथा समुदाय की क्षमता–निर्माण की महत्वपूर्ण कार्य योजना तैयार की गयी है । क्षमता निर्माण गोतोखोरों का प्रशिक्षण, पंचायती राज के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण तथा भूकंप–रोधी घरों के निर्माण हेतु इंजिनियरों तथा आर्किटेक्टरों का प्रशिक्षण आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है । 'राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' के सहयोग से राज्य के 2 सुप्रसिद्ध संस्थानों यथा ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान एवं बिरला इस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना को रिसोर्स–सेन्टर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है ।
- **आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना** – वर्ष 2010–2011 में आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है । संचार के नये–नये साधनों का उपयोग करते हुये आपदा आने के पूर्व आवश्यक सूचना राज्य की जनता के बीच प्रचारित कर दी जाय ताकि आपदाओं से निपटने के पूर्व तैयारी समुदाय स्तर पर हो सके ।

- **बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण**– बाढ़ के समय लोगों को शरण लेने के लिए ऊँचे स्थलों की आवश्यकता होती है । कोशी प्रभावित जिलों में उंचे बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण 'मुख्यमंत्री सहायता कोष' की राशि से कराने का निर्णय लिया गया है । आपदा प्रबंधन विभाग इस कार्य का अनुश्रवण कर रहा है ।

- **वज्रपात से मृत्यु की दशा में अनुदान** – आपदा राहत कोष के प्रावधानों के अनुसार वज्रपात से हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है । फलस्वरूप, बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान देने में कठिनाई आ रही थी । किन्तु राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुदान देने की व्यवस्था की है ।

- राज्य के 28 बाढ़ प्रभावित जिलों में पर्याप्त संख्या में जून 2010 तक मोटर बोट सभी जिलों में कम–से–कम 100 जैकट उपलब्ध कराने तथा राज्य संचार उपकरणों के क्रय हेतु 11.76 करोड़ का प्रावधान 2010–11 में किया गया है।

- वर्ष 2010–11 में राज्य **'आपदा रेस्पान्स बल'** की एक बटालियन का गठन किया जायेगा, जिसके लिये बिहटा में 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और बजट में इस हेतु 20.73 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि विभाग

कृषि विभाग का वास्तविक योजना व्यय वर्ष 2005–06 में 152.99 करोड़ था । वर्ष 2010–11 में 461.44 करोड़ का उपबंध है जो वर्ष 2005–06 की तुलना में 201.61 प्रतिशत ज्यादा है ।

- **राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय** में शिक्षा एवं शोध के सुदृढ़ीकरण हेतु 24 करोड़ रू०, उद्यान महाविद्यालय, नालंदा के लिए 9.45 करोड़ रू० कृषि महाविद्यालय, डुमराँव एवं पूर्णियाँ हेतु 7.7 करोड़ रू० एवं भागलपुर स्थित सबौर को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, भागलपुर हेतु 5 करोड़ रू० का बजटीय उपबंध किया गया है।

- 5–7 दिसम्बर' 2010 को राज्य के सभी 44,925 राजस्व गांवों से मिट्टी के दो नमूने संग्रह किए गए। अगले खरीफ के पहले **मिट्टी नमूनों की जाँच** के आधार पर पंचायतवार मिट्टी की उर्वरता की जानकारी से किसानों को अवगत कराया जाएगा। राज्य के किसानों को Soil Health Card देने की भी कार्रवाई की जा रही है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के लिए 6 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

- कृषि–प्रसार–सुदृढ़ीकरण हेतु 10 गाँवों पर एक कुल 4062 **विषयवस्तु–विशेषज्ञों** को 5 हजार के नियत मानदेय एवं 3500 रू० के ऑपरेशन व्यय पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारम्भ है।

- **कृषि यंत्रों** को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पावर टिलर पर 60 हजार तक अधिकतम अनुदान, 1 एकड़ तक जमीन वाले कृषक को देने का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने पावर टिलर की मांग को शत प्रतिशत पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2009–10 में 55 हजार किसानों को विभिन्न योजनाओं में कृषि यंत्र उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2010–11 में पावर टिलर हेतु 41.50 करोड़ रू० का प्रावधान तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कृषि यांत्रिकीकरण के लिए 15 करोड़ रू० राज्यांश का प्रावधान है।

- **Drip** एवं **Sprinkler** के लिए 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान। वर्ष 2010–11 में 5 करोड़ रू० का प्रावधान है।

- कृषि रोड मैप में धान एवं गेहूँ के लिए 2011–12 तक **बीज–विस्थापन–दर** 33 प्रतिशत लक्षित है। गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप जहाँ वर्ष 2006–07 में बीज–विस्थापन–दर 10.12 प्रतिशत थी, वहीं 2009–10 में धान के लिए 25 प्रतिशत एवं गेहूँ के लिए 26 प्रतिशत विस्थापन–दर हासिल की गयी है।

- **जैविक खेती** को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कम्पोस्ट हेतु अनुदान दिया जा रहा है। 2010–11 के बजट में 30 करोड़ रू० का प्रावधान रखा गया है।

- **'बिहार राज्य बीज निगम'** द्वारा बीज उत्पादन एवं **'मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम'** हेतु 12 करोड़ रू० तथा राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र में बीज–उत्पादन–कार्यक्रम हेतु 9.50 करोड़ रू० का बजटीय प्रावधान किया गया है।

- बैकों द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण मुख्यतः किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में वर्ष 2005–06 में 2174.03 करोड़ रूपए बैंको द्वारा ऋण के रूप में दिए गए थे जो 2008–09 में बढ़कर 5697.49 करोड़ हो गया। वर्ष 2009–10 का लक्ष्य 8727.17 करोड़ है तथा 2010–11 का प्रस्तावित लक्ष्य 11,968 करोड़ है।

  इस ऋण पर बैंक 7 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में किसानों को 4% ही ब्याज देना पड़ेगा तथा शेष राशि सरकार द्वारा Subsidy के रूप दी जाएगा। इसके लिए 2010–11 के बजट में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है। इसपर 150 करोड़ रूपया से अधिक की व्यय की संभावना है।

पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में वर्ष 2010–11 में वर्ष 2005–06 की तुलना में 4029.05 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 163.10 करोड़ का उपबंध राज्य योजना में किया गया है।

- राज्य के पशुओं को संक्रामक बिमारियां जैसे–खुरहा (एफ०एम०डी०), गलाघोंटु (एच०एस०) एवं लंगड़ी (बी०क्यू०) के विरूद्ध अभियान के रूप में वर्ष में दो बार '**पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम**' के अन्तर्गत 2009–10 में 1.56 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया गया। 2010–11 में 80 प्रतिशत पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य है। राज्य के सभी स्वीकृत 1401 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। कम–से–कम 1000 'गोपाल मित्रों' को प्रशिक्षण देकर चलन्त रूप से कृत्रिम गर्भाधान की सेवा पशुपालक के दरवाजे पर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की जाएगी। 'बिहार लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट एजेन्सी' के द्वारा पटना स्थित 'फ्रोजेन सीमेन स्टेशन' को सुदृढ़ करते हुए शुक्र स्ट्रा के उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- **मुर्गी ग्राम योजना** (रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना) के अर्न्तगत राज्य के छः जिलों के 15,000 बी०पी०एल० एवं महादलित परिवारों को लो–इनपुट टेक्नोलॉजी के 45 चूजे प्रति परिवार 4 सप्ताह तक पालकर लाभार्थियों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य के कुक्कुट प्रक्षेत्रों में उत्पादित होने वाले लो–इनपुट टेक्नोलॉजी के चूजों को अन्य जिलों में सुयोग्य बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० परिवारों के बीच अनुदानित दर पर वितरित किया जाएगा।
- राज्य के 800 **कुक्कुट पालकों/कृषकों** को राज्य के बाहर प्रतिष्ठित कुक्कुट संस्थानों में भेजकर प्रशिक्षित कराने का कार्य किया जाएगा।
- **बकरी पालन–सह–पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,** पूर्णियाँ की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। चयनित 10 जिलों के कम–से–कम 600 लाभार्थियों को उन्नत नस्ल के दो–दो बकरे देकर ग्रामीण क्षेत्र में नस्ल–सुधार का कार्य किया जाएगा। दस जिलों के 10–10 किसानों को बकरी पालन के प्रशिक्षण हेतु मथुरा भेजा जाएगा।
- **पशु–चिकित्सालयों** में पूर्व से उपलब्ध कराए जा रहे 17 प्रकार की **मुफ्त दवाओं** की संख्या को बढ़ाते हुए बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जाएगी ।
- राज्य के पशुधन के विकास एवं संवर्द्धन हेतु 'पशु प्रजनन नीति–2010' बहुत जल्द राज्य में लागू की जायेगी ।

- राज्य अन्तर्गत स्वीकृत रिक्त पदों पर 171 **भ्रमणशील पशु चिकित्सा** पदाधिकारी एवं 246 प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया है।

- **पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय,** डुमराँव के लिए 75 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है।

- नालंदा जिले के बिहारशरीफ में 120.93 करोड़ रूपये के अनुमानित लागत व्यय पर 4.00 लाख ली. प्रति दिन क्षमता का **डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट,** 30.00 एम०टी० प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध पाउडर प्लांट तथा 1500 लीटर प्रतिदिन क्षमता का टेट्रा पैक प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट को माह मई–जून, 2010 तक चालू कर लिये जाने का लक्ष्य है।

- राज्य में दुग्ध–उत्पादन की वृद्धि के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2008–09 से ही स्वीकृत योजनान्तर्गत नये डेयरी प्लांट की स्थापना (डेहरी–ऑन–सोन एवं बांका) एवं कम्फेड प्रक्षेत्र के दुग्ध संघ के पुराने डेयरी संयंत्र के सुदृढ़ीकरण पर रूपये 947 लाख रू० व्यय किये जाएँगे।

- ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवकों एवं कृषकों के लिए 900 इकाई मिनी डेयरी की स्थापना, 150 कैटल ब्रिडिंग इकाई, 450 इकाई कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा 625 दुग्ध समितियों को इलेक्ट्रॉनिक मिल्क–टेस्टर हेतु कुल रू० 1498 लाख रू० व्यय किये जाएँगे।

- 40 लाख रू० को अनुमानित लागत व्यय पर कुल 770 दुग्ध उत्पादकों/समिति के सचिवों/कृत्रिम गर्भाधानकर्त्ताओं को राज्य के अन्दर एवं बाहर स्थित संस्थानों में गव्य–प्रशिक्षण दिलाने मे व्यय किये जाएँगे।

- वित्तीय वर्ष 2010–11 में 3.50 लाख टन **मछली,** 500 मिलियन मत्स्य–अंगुलिकाओं का उत्पादन, प्रत्येक जिले में एक 'मत्स्य बीज हैचरी' की स्थापना, 200 अदद मत्स्य आहार मिल की स्थापना, 20 हजार हेक्टेयर में 'फसल बीमा योजना' के अतिरिक्त 1100 अदद मछुआ आवास निर्माण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त बृहद पैमाने पर अनुदानित दर पर नाव एवं फेका जाल वितरित किये जाने की योजना है।

- 'किसान क्रेडिट कार्ड' की तरह मत्स्य कृषकों को '**मत्स्य क्रेडिट कार्ड**' वितरित किया जाएगा।

- **मत्स्य पालकों** को 10 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार के व्यय पर काकीनाड़ा (आन्ध्र प्रदेश), बैरकपुर एवं साल्ट लेक (प० बंगाल) भेजा जा रहा है।

- इन्श्योरेन्स कम्पनियों के सहयोग से राज्य में पहली बार जलकरों में डाली गयी मछलियों का **बीमा** कराने की व्यवस्था की जा रही है।

सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग में वर्ष 2005–06 के वास्तविक व्यय 101.55 करोड़ को दुगना से ज्यादा करते हुये वर्ष 2010–11 में 232.03 करोड़ का उपबंध किया गया है।

- **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना** के तहत खरीफ 2008 मौसम में 67000 कृषकों को 61.10 करोड़ रूपये का क्षतिपूर्ति भुगतान इस योजना के तहत किया गया है तथा रब्बी 2008–09 मौसम में 157455 कृषकों को 189.35 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रस्तावित है। खरीफ, 2009 मौसम हेतु 6.96 लाख कृषकों का 1625.75 करोड़ रूपये की फसल बीमित की गयी है। **पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना** के तहत रब्बी 2007–08 मौसम से लागू है। इस योजना के तहत रब्बी 2008–09 मौसम में 97.00 हजार कृषकों को 21.65 करोड़ रू० क्षतिपूर्ति भुगतान किया गया है तथा खरीफ 2009 मौसम में 3.81 लाख कृषकों की 940.00 करोड़ की फसलें बीमित की गई है। 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' एवं 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' अन्तर्गत किसानों को विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान के मद में वर्ष 2010–11 में 120 करोड़ एवं 70 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2009–10 में खरीफ मौसम के फसलों हेतु 208.10 करोड़ रूपये एवं रब्बी मौसम के फसलों हेतु 54.45 करोड़ रूपये का **अल्पकालीन ऋण** वितरित किया गया है।
- राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्तमान खरीफ मौसम में पैक्सों द्वारा कुल 56000 मे० टन धान की **अधिप्राप्ति** की गयी है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** के तहत 40 पैक्सों में गैसीफायर के साथ–साथ एक–एक मिनी राईस मिल स्थापित करने के उद्देश्य से प्रति पैक्स 12.00 लाख रू० की दर से कुल 480.00 लाख रू० स्वीकृत किया गया है।
- **समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत** ग्रामीण क्षेत्र के पैक्सों में 100 मे० टन क्षमता का 686 गोदाम तथा व्यापार मंडलों में 250 मे० टन क्षमता का 66 गोदाम का निर्माण किया गया है। वर्ष 2009–10 में दिसम्बर 2009 तक 634 समितियों द्वारा 4059.02 लाख रूपये का व्यवसाय किया गया है तथा कुल 123640 सहकारी कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **पैक्सों में जमा वृद्धि योजना** :– इस योजनान्तर्गत 763 पैक्सों द्वारा अपने सदस्यों से 14044.21 लाख रूपये का जमा एकत्रित किया गया है। पैक्सों में 224 किसान क्लब का गठन किया गया है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

वन एवं पर्यावरण विभाग का राज्य योजना का वास्तविक व्यय 2005–06 में 14.64 करोड़ था जिसे 2010–11 में बढ़ाकर 39.82 करोड़ किया गया है।

- राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में 39.82 करोड़ का प्रावधान है। अवकृष्ट वनों के पुनर्वास हेतु 18.27 करोड़ का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत 2007–08 से 2009–10 तक 'मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण कार्यक्रम' के तहत तीन बैच के छात्रों को प्रोत्साहन–राशि, राजगीर परियोजना एवं रानीगंज वृक्षवाटिका का कार्य किया जाएगा।

- राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिये जनता को प्रेरित करने हेतु पौधों की गुणवत्ता बढ़ाने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, एवं इसके अंतर्गत विभागीय पौधशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया है तथा अच्छे गुणवत्ता वाले बीज प्राप्ति हेतु 11 सीडलिंग सीड ऑचार्ड की स्थापना की गयी है। कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निजी भूमि पर उगायी जाने वाली दस प्रजातियों क्रमशः पोपलर (सभी प्रजातियाँ), युकेलिप्टस (सभी प्रजातियाँ), कदम्ब, गम्हार, आम, लीची, ताड़, खजूर, बांस (लाठी बांस छोड़कर) एवं सेमल के काष्ठ एवं उनके विनियरों को परिवहन अनुज्ञा से मुक्त कर दिया गया है।

- राज्य के नहर तटों, नदी तटबन्धों एवं पथतटों के भूमि पर वृक्षाच्छादन हेतु वनरोपण कार्य तथा 'इको पार्क' पटना की स्थापना हेतु 10.18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- 'राष्ट्रीय सम विकास योजनान्तर्गत' 5.77 करोड़ से बाँका एवं जमुई जिले में अवकृष्ट वनों के पुर्नवास तथा वैशाली में कृषि वानिकी कार्य किया जाएगा।

- 'वाल्मीकिनगर व्याघ्र योजना' के 50 प्रतिशत राज्यांश 50 लाख रूपए तथा 'संजय गाँधी जैविक उद्यान' के राज्यांश 30 लाख रूपए का प्रावधान 2010–11 की राज्य योजना मे किया गया है।

मानव संसाधन विभाग

मानव संसाधन विभाग में वर्ष 2008–09 में वास्तविक व्यय योजना और गैर योजना मिलाकर 6218.20 करोड़ रूपये था, जो वर्ष 2009–10 में बजट अनुमान बढ़कर 8066.09 करोड़ हो गया । वर्ष 2010–11 में बजट अनुमान 8220.09 करोड़ है जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर 4837.61 करोड़, माध्यमिक शिक्षा पर 1980.44 करोड़, उच्च शिक्षा पर 1178.59 करोड़ तथा प्रौढ़ शिक्षा, भाषा आदि पर 223.45 करोड़ रूपये है ।

- **सर्व शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत 31 दिसम्बर' 2009 तक कुल 18,842 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 14,675 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया, 218 प्रखंड संसाधन केन्द्र, 1429 संकुल संसाधन केन्द्र, 1.20 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 3010 विद्यालय भवन, 26,524 शौचालय, 12,068 चापाकल एवं 1431 प्रधानाध्यापक कक्ष के निर्माण किए गए । 1110 विद्यालय भवन, 43,853 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 27,017 शौचालय तथा 12,205 चापाकल निमार्णाधीन है ।

  'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत राज्यांश के अंतर्गत 2010–11 में 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

- कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्र–छात्राओं को प्रति वर्ष **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें** उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

- विद्यालय से बाहर के अल्पसंख्यक बच्चों के लिए **तालिमी मरकज** एवं महादलित बच्चों के लिए **'उत्थान केन्द्र'** प्रारम्भ किए गए हैं । 1293 मरकज में 49 हजार 720 बच्चों तथा उत्थान केन्द्र में 2.71 लाख महादलित बच्चों का नामांकन किया गया है । 382 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कुल 34 हजार 200 बालिकाएँ नामांकित हैं, जिनमें 15,032 SC (44%), ST 2322 (7%), अन्य पिछड़ा वर्ग 8957 (26%), मुस्लिम अल्पसंख्यक 4990 (15%), गरीबी रेखा से नीचे 1045 (3%), एवं अन्य 1804 (5%) है।

- Annual Status of Education Report-2009 के अनुसार वर्ष 2006 में जहाँ 6–14 वर्ष आयु के 12.8 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर थे, वहीं उनकी संख्या 2009 में घटकर मात्र 4% रह गयी है ।

- इस वर्ष सभी प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों के सभी छात्र–छात्राओं को Health Card देने एवं उनका समय–समय पर स्वास्थ्य जाँच कराने की योजना है ।

- प्रारम्भिक विद्यालयों में **मध्याह्न भोजन** हेतु वर्ष 2010–11 में 300 करोड़ रूपये का प्रावधान है ।

- **मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना** के अन्तर्गत कक्षा 6–8 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु 700/–रू० प्रदान किये जा रहें हैं । वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में कुल 20.93 लाख बालिकाओं को 153.68 करोड़ रू० एवं 2010–11 में 18.85 लाख बालिकाओं को 132 करोड़ रू० रूपये दिये जाएँगे ।

- **मुख्यमंत्री पोशाक योजना** में वर्ग 3–5 के सभी छात्र–छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु 500/–रू० दिये जा रहे हैं । वर्ष 2009–10 में कुल 80.97 लाख बच्चों को 404.89 करोड़ रू० का प्रावधान है तथा 2010–11 में 88.80 लाख बच्चों को 444 करोड़ रूपए पोशाक एवं शिक्षण सामग्री हेतु दिये जाएँगे।

  इस प्रकार पोशाक एवं शिक्षण सामग्री की दोनो योजनाएँ मिलाकर 2009–10 में 96.97 लाख बच्चों को 517.36 करोड़ रू० तथा 2010–11 में 1.7 करोड़ बच्चों को 576 करोड़ रू० दिये जाएँगे ।

- **मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना** के अन्तर्गत कक्षा 9 में पढ़नेवाले सभी लड़के–लड़कियों को साईकिल खरीदने हेतु दो हजार रूपए नगद भुगतान किये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के दो वित्तीय वर्षों में कुल 7.04 लाख लड़कियों को साइकिल हेतु 140.54 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

  वर्ष 2009–10 में 5.64 लाख लड़कों को भी साइकिल देने का निर्णय लिया गया है । इस प्रकार वर्ष 2009–10 में कुल 10 लाख 1 हजार लड़के–लड़कियों को साइकिल देने हेतु 199.93 करोड़ रू. का बजटीय उपबंध है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में 11.25 लाख लड़के–लड़कियों को साइकिल देने का प्रावधान है, जिसपर 225 करोड़ रूपए व्यय होंगे ।

- **मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत कक्षा 10 (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली 37 हजार 522 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000/– रूपये प्रदान किये जा रहे हैं ।

- **नवनियुक्त नियत वेतन वाले शिक्षकों** के वेतन में 1000/– रूपये की वृद्धि 1 अप्रैल 2010 से करने का निर्णय लिया गया है, जिसपर राज्य को 90 करोड़ रूपये व्यय करना होगा ।

- **वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के उपरान्त** सभी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय को अनुदान उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है । माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 140.88 करोड़ रूपये व्यय होंगे, जिससे 1500 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक लाभान्वित होंगे । उच्च शिक्षा के अंतर्गत

38 करोड़ रूपये व्यय किये जा रहें हैं । कुल मिलाकर इस योजना पर 178.88 करोड़ रू० व्यय होगा ।

- **उच्च शिक्षा** के अंतर्गत सभी अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था के अंतर्गत 18 अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है । प्रति महाविद्यालय 8 करोड़ रूपये व्यय अनुमानित है । सिमरी बख्तियारपुर, त्रिवेणीगंज, धमदाहा, बायसी, मनिहारी, बेनीपुर, तेघड़ा, बलिया, नीमचक–बथानी (खिजरसराय), रजौली, राजगीर, जगदीशपुर, पीरो, सीतामढ़ी पूर्वी, पुपरी, बगहा, महुआ एवं शिवहर में डिग्री कॉलेज खुलेंगे ।

- **प्राथमिक शिक्षा,** माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय भवन एवं महाविद्यालय भवन के निर्माण संबंधी आधारभूत संरचना को बड़ी संख्या में विकसित किया जाना है । इस हेतु **शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम** की स्थापना प्रस्तावित है ।

- **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा की स्थापना** किशनगंज जिला में की जा रही है । इस हेतु सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को जमीन उपलब्ध करायी जा रही है ।

- बिहार में 13,745 अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को 'हुनर' कार्यक्रम के अन्तर्गत NIOS के सहयोग से व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया । सफल छात्राओं को सीखे गये हुनर के आधार पर व्यवसायिक कार्य प्रारंभ कराने के लिए 'औजार' योजना प्रारंभ की गयी है । इस के अंतर्गत 'टूल–कीट–सेट' (Tool Kit Set) हेतु 2500 रूपया दिया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में 2.40 लाख व्यवसायिक प्रशिक्षणप्राप्त बालिकाओं को 'टूल–कीट–सेट' (Tool Kit Set) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, जिस पर कुल 600.00 लाख रू० का व्यय होगा ।

- राज्य के 391 **बुनियादी विद्यालय** जो महात्मा गाँधी की प्रेरणा पर स्थापित हुए थे, को पुर्नजीवित करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिये पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं और इसी वर्ष 100 बुनियादी विद्यालयों में नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई शुरू की जायेगी । इसमें सामान्य पढ़ाई के अलावे छात्र–छात्राओं को उच्च स्तरीय व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होगा ।

- राज्य की 40 लाख निरक्षर 15–35 आयु–वर्ग की महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए **मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना** प्रारंभ की गई है । इस योजना पर 83.20 करोड़ व्यय होंगे ।

- **मुख्यमंत्री परिदर्शन योजना** के अन्तर्गत मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय के छात्र–छात्राओं को परिदर्शन हेतु 5000/– रूपये प्रति विद्यालय की दर से राशि प्रदान की जा रही है ।

- **'बालिका छात्रावास योजना'** के अन्तर्गत प्रखंडों में 141 बालिका छात्रावास निर्माण किया जाएगा ।

- **मॉडल स्कूल योजना के** तहत राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय के तर्ज पर 106 मॉडल स्कूल स्थापित किये जायेंगे ।

- **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** के तहत 5 कि०मी० की परिधि में उच्च विद्यालय नहीं होने वाले स्थानों पर राज्य के 500 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया जायेगा । इस अभियान के लिए वर्ष 2010–11 में 336.03 करोड़ का प्रावधान है ।

- राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास हेतु 55.40 करोड़ रू० **राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय** हेतु 25 करोड़ रू० एवं **चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान** के लिए 25 करोड़ रू० का बजटीय उपबंध है ।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग में राज्य योजना का वास्तविक व्यय वर्ष 2005–06 में 25.71 था जिसे वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर 120.52 करोड़ रखा गया है।

- **आई०आई०टी०** पटना की स्थापना हेतु बिहटा में 500 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है। भूमि के अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 में 58.56 करोड़ मात्र की राशि 'आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार' को विमुक्त की गई है।

- सीतामढ़ी में स्वीकृत **'सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी'** के भवनादि के निर्माण हेतु 21.01 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु रू० 3.94 करोड़ मात्र की राशि स्वीकृत की गई है।

- **नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग,** चण्डी के भवनादि निर्माण हेतु 51.61 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गई है, जिसमें चहारदीवारी एवं भवनों को निर्माण हेतु 'आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार' को राशि विमुक्त की गई है।

- **गया, दरभंगा, मोतिहारी** एवं **चण्डी** में नवस्थापित नये अभियंत्रण महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु रू० 5 करोड़ रू० का व्यय किया जायेगा।

- **जयप्रकाश नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा** के भवनादि का निर्माण प्रारंभ किया गया है तथा निर्माण कार्य प्रगति में है।

- पूर्व स्थापित **राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर** के भवनादि के निर्माण हेतु कुल रू० 26.69 करोड़ मात्र की योजना स्वीकृत की गई है।

- राज्य में **पोलिटेकनिक शिक्षा** को सुद्‌ढ़ करने के उद्देश्य से **डिहरी ऑन सोन** एवं **कटिहार** में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति तथा उक्त संस्थानों में भवनादि निर्माण हेतु रू० 4 करोड़ रू० मात्र भवन निर्माण विभाग को विमुक्त किया गया है।

- **बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर,** बिहार के सुदृढ़ीकरण हेतु कुल रू० 16.24 करोड़ रू० मात्र की योजना स्वीकृत की गई है, वर्ष 2009–10 में दो करोड़ एवं वर्ष 2010–11 में आठ करोड़ रू० व्यय प्रस्तावित है ।

- **बी० आई० टी० मेसरा** विस्तार केन्द्र, पटना में दो अतिरिक्त अभियंत्रण पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने के फलस्वरूप आवश्यक संसाधनों को विकसित करने तथा अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण हेतु रू० 8.16 करोड़ रू० मात्र की योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य विभाग का योजना एवं गैर योजना का वास्तविक व्यय वर्ष 2005–06 में 911.47 करोड़ रूपये था । वर्ष 2010–11 में 1739.58 करोड़ का बजट उपबंध किया गया है । इस विभाग का अधिकांश व्यय चिकित्सक, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन पर खर्च होता है । साथ ही भारत सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission) के तहत सीधे पैसे राज्य स्वास्थ्य समिति को भेजती है जो राज्य बजट में परिलक्षित नहीं होता है ।

- गर्भवती माताओं को आपात स्थिति में सुदूर गांवों में स्वास्थ्य संस्थानों तक तक ले जाने एवं उन्हें अपने घर तक पहुँचाने के लिए **निःशुल्क एम्बुलेंस** का प्रावधान किया गया है, जिस हेतु 10.54 करोड़ रू० का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।

- अतिकुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य संस्थानों पर **उपचारात्मक सेवा** प्रदान करने हेतु पोषण, पुर्नवास केन्द्र की स्थापना 30 जिलों में प्रस्तावित है, जिसमें अतिकुपोषित बच्चों एवं माताओं की देखभाल की जायेगी; साथ ही माताओं का क्षमता–विकास भी

किया जायेगा ताकि वे घर पर भी अपने बच्चों की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकें, जिस हेतु 7.74 करोड़ रू० का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।

- संस्थागत प्रसव के बढ़ने के साथ ही नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 23 जिला अस्पतालों में रूग्ण **नवजात केयर यूनिट** को स्थापित करने हेतु 6 करोड़ रू० का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।
- महादलित समुदाय के टोलों तक आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 10 **मेडिकल मोबाइल यूनिट** का प्रावधान प्रस्तावित है । इसके माध्यम से एक्स.रे, पैथोलॉजी जाँच, **चिकित्सीय सेवाएँ** एवं निःशुल्क दवाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी । कुल 5.61 करोड़ रू० का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।
- पटना नगर में संचालित **जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा (108)** को दो और प्रमंडलीय मुख्यालय में संचालित करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकत्ताओं के साथ आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण भी उपलब्ध है । कुल 3.56 करोड़ रू० का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।
- विगत वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में हुए परिवर्तन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य संस्थानों को भी **ISO 9000** का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय । इस क्रम में 5 जिला अस्पताल, 5 अनुमंडलीय अस्पताल तथा 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इस वर्ष चयनित करने का प्रस्ताव है। यह प्रमाण–पत्र स्वास्थ्य संस्थानों में प्रक्रियात्मक सुदृढ़ीकरण लायेगा । कुल 3 करोड़ रू० का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।
- दवाओं के समुचित रख–रखाव एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर **ड्रग वेयर हाउस** की स्थापना की जानी है, जिसमें कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के आधार पर आवश्यकतानुसार किसी भी समय दवाइयों की आपूर्ति स्थानीय स्तर से की जा सकती है । इस व्यवस्था से किसी भी स्वास्थ्य संस्थानों पर दवाओं की अनुपलब्धता को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है । कुल **2.25 करोड़ रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।**
- विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में **अस्पताल प्रबंधकों** को नियुक्त करने का प्रस्ताव है, इसके साथ ही प्रमंडलीय स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधक का एक प्रबंधकीय सेल भी प्रस्तावित है । इस व्यवस्था से स्वास्थ्य सेवाओं का अनुश्रवण एवं प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जायेगा । कुल **1.62 करोड़ रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।**

- राज्य में **जनसंख्या स्थिरीकरण** के प्रयास को सशक्त करने हेतु प्रत्येक स्तर पर **प्रोत्साहन राशि** का प्रस्ताव है, जिसमें यह प्रावधान है कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कार्यकत्ताओं को प्रोत्साहन–राशि दी जायेगी । कुल **1.51 करोड़ रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।**

- राज्य के 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की स्थिति को बेहतर करने हेतु वर्ष में दो बार, छः माह के अन्तराल पर **विटामिन–ए** (नौ माह से पाँच वर्ष तक के बच्चों के लिए) तथा **डी–वर्मिंग** की गोली (दो वर्ष से पाँच वर्ष) के बच्चों को दी जायेगी । प्रतिदिन के भोजन में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विटामिन–ए तथा आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने का भी सलाह दिया जायेगा । कुल **1.14 करोड़ रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।**

- प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र के स्तर पर माह में एक बार '**स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस**' आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें टीकाकरण के साथ प्रसव पूर्व जांच, पोषाहार तथा आयरन की गोलियाँ गर्भवती महिलाओं को दी जायेगी, साथ ही किशोरी बालिकाओं को भी स्वास्थ्य की देखभाल हेतु प्रशिक्षत किया जायेगा । कुल **1.11 करोड़ रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।**

- स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम पर **'एक निगरानी समिति'** गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिनके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सामुदायिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा । कुल **76 लाख रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।**

- प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय उपनिदेशक के स्तर पर सूचनाओं का संग्रहण एवं विश्लेषण की आवश्यकता परिलक्षित की जा रही थी । इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक प्रमंडल स्तर पर एक **डाटा सेंटर** खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जायेगा । कुल **54 लाख रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।**

- निजी संस्थानों को संस्थागत प्रसव में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने गुजरात राज्य में कार्यान्वित **'चिरंजीवी योजना'** को 2 जिलों में संचालित करने का प्रस्ताव किया है । इस योजना में निजी नर्सिंग होम में भी प्रसव सेवाएं दिये जाने पर सहयोग राशि प्रदान की जायेगी । कुल 50 लाख रूपया का वार्षिक बजट प्रस्तावित है।

- राज्य के 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अर्थात छः शय्या वाले अस्पताल से 30 शय्या वाले अस्पताल में परिवर्त्तन करने का निर्णय है ।

- लगभग 8 हजार स्वास्थ्य उप केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ।
- नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर एवं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर (पी०जी०) की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु प्रारंभिक सभी कार्रवाई पूरी कर ली गयी है । नालंदा मेडिकल कॉलेज में कतिपय विषयों में स्वीकृति प्राप्त हो भी गयी है । शेष में 2010–11 में प्रारंभ होने की संभावना है ।
- सभी जिला अस्पतालों में जहां अभी तक आधुनिक सुविधा यथाः अल्ट्रा साउंड आदि स्थापित नहीं हो पाया है, वहाँ स्थापित किया जायेगा ।
- 1500 से अधिक आयुष चिकित्सकों की बहाली अगले 3 माह में पूरी कर ली जायेगी । लगभग 2 हजार विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अगले 2–3 माह में पूरी कर ली जायेगी । ये चिकित्सक विभिन्न जिला अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेंगे ।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का वर्ष 2005–06 का राज्य योजना का वास्तविक व्यय 46.58 करोड़ रूपये था। वर्ष 2010–11 में 272.91 करोड़ का उपबंध है, जो वर्ष 2005–06 की तुलना में 486 प्रतिशत ज्यादा है।

- वर्ष 2010–11 की वार्षिक राज्य योजना 272.90 करोड़ निर्धारित है, जिसमें नाबार्ड मद में 49.50 करोड़, केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्यांश हेतु 153.33 करोड़ तथा ऑनगोईगं (On Going) नई योजना हेतु 70.06 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचितजाति के लाभार्थ विशेष अंगीभूत मद में 81.90 करोड़ कर्णाकिंत है जो कुल उदव्यय का 30% है।
- राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी **लोहिया स्वच्छता योजना** की शुरूआत की गई है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने हेतु APL परिवारों को दो हजार रूपया तो BPL परिवार को 2200 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ग्रामीण स्वच्छता हेतु राज्यांश के रूप में 44 करोड़ का उपबंध किया जा रहा है।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सभी घरों में, सभी विद्यालयों में, सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण तथा खुले में शौच की प्रथा समाप्त होने पर ग्राम पंचायतों/प्रखंडों को भारत सरकार द्वारा **निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है**। निर्मल ग्राम पुरस्कार की भाँति राज्य सरकार द्वारा भी वैसी पंचायतें, जो पूर्ण स्वच्छता

प्राप्त कर निर्मल ग्राम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भी सम्मानित करते हुए **'लोहिया स्वच्छता पुरस्कार'** प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

- ''वर्ष 2012 तक प्रत्येक घर में शौचालय हो''–इसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु विभागीय मंत्री महोदय की पहल पर प्रथम चरण में गत वर्ष 17 जिलों में "बिहार ग्राम गौरव यात्रा" शुरू की गयी। माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्वयं गाँव में रात्रि विश्राम कर स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता लायी गई है। इसके फलस्वरूप 212821 शौचालयों के निर्माण हेतु मांग प्राप्त हुई। पुनः द्वितीय चरण में 31 जनवरी 2010 से 21 जिलों के लिए "बिहार ग्राम गौरव यात्रा" का कार्यक्रम माननीय मंत्री महोदय द्वारा शुरू किया गया है। इस यात्रा में हैंड वाशिंग पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

मुक्तिधाम योजना

राज्य में श्मशान घाटों की स्थिति काफी दयनीय है। प्रथम चरण में 50 श्मशान घाटों एवं 04 शहरों यथा बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के लिए विद्युत शवदाह गृह के विकास एवं आधुनिकीकरण हेतु **"मुक्तिधाम"** नाम से योजना की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2010–11 में 16.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

जलापूर्ति कार्यक्रम

- राज्य में विद्युत दोष एवं अन्य कारणों से बंद 187 ग्रामीण पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं को चालू करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके। विगत सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य के 26 जिलों में 1500 विद्युत पम्प के साथ मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई है। राज्य के 26 सूखाग्रस्त जिलों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अभावग्रस्त टोलों में सोलर पम्प/डिजल जेनरेटिंग सेट/ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत पर आधारित पम्प के साथ 400 मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। राज्य के 57408 विद्यालयों में 1–1 अतिरिक्त चापाकल के निर्माण हेतु योजना स्वीकृत की गई है एवं इसे अगले वर्ष तक पूरा किया जाना है। प्राथमिक/मध्य विद्यालय में जलापूर्त्ति हेतु राज्यांश मद में वर्ष 2010 में 45.53 करोड़ का उपबंध किया गया है।
- आर्सेनिक प्रभावित टोलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु मल्टिविलेज स्कीम ली जा रही है। भोजपुर जिला के 39 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था हेतु गंगा नदी से पानी लेकर पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस योजना को मार्च 2010 तक चालू करने का लक्ष्य है। बक्सर जिला के 130 ग्राम, पटना जिला के 25 ग्राम एवं वैशाली जिला के 45 ग्राम जो आर्सेनिक प्रभावित हैं, में

शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु मल्टिविलेज स्कीम की स्वीकृति दी गई है। इस योजना का कार्यान्वयन भी प्रारम्भ कर दिया गया है। फ्लोराईड प्रभावित 300 ग्रामों/टोलों में शुद्ध पेयजल हेतु समुचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प के साथ मिनी पाईप्ड जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी गई है। आर्सेनिक प्रभावित 150 ग्रामों/टोलों में शुद्ध पेयजल हेतु समुचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सोलर पम्प के साथ मिनी पाईप्ड जलापूर्ति याजना की स्वीकृति दी गई है। भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु जलापूर्त्ति के निर्माण हेतु 50 करोड़ का उपबंध किया गया है।

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग का वास्तविक योजना व्यय वर्ष 2005–06 में 400.34 करोड़ था जिसमें वर्ष 2010–11 में 252.26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर 1410.23 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

- राज्य में विद्युत–उत्पादन–क्षमता को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है । इसके लिये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के बरौनी ताप गृह में 500 मेगावाट क्षमता–विस्तार की परियोजना की स्वीकृति दी गई है । दूसरी ओर एन०टी०पी०सी० के साथ संयुक्त उपक्रम द्वारा संचालित काँटी ताप विद्युत गृह के लिए भी 390 मेगावाट क्षमता–विस्तार की परियोजना की स्वीकृति दी गई है । इसके अलावे एन०टी०पी०सी० के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से नवीनगर में (3X660) मेगावाट के ताप–विद्युत–गृह के स्थापना की स्वीकृति दी गई है । इसके लिये भूमि चिह्नित करने की कार्रवाई कर ली गई है ।
- बिहार पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी द्वारा टैरिफ पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर भागलपुर, लखीसराय एवं बक्सर में 1320 मेगावाट प्रति पावर–प्लान्ट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की गई है । इसके अलावे एकरारनामा के आधार पर 1500 मेगावाट बिजली के क्रय हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है । 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के तहत बरौनी ताप विद्युत गृह एवं कांटी ताप विद्युत गृह की (2X110) की इकाई के पुनरूद्धार एवं नवीकरण हेतु 1053 करोड़ रू० की योजना की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है ।
- उप संचरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' के तहत वर्त्तमान में कुल 2246.40 करोड़ रू० की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

इसके तहत 26 नये ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के साथ संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ।

- राज्य में लघु जल विद्युत परियोजना हेतु नाबार्ड से ऋण लेकर 19 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है । इनके अलावा बथनाहा (8 मेगावाट) परियोजना हेतु 5949.67 लाख रू० के ऋण की स्वीकृति दी गयी है ।
- पेसू क्षेत्र में विद्युत विपत्र भुगतान हेतु 7 Any Time Payment केन्द्र स्थापित हैं और 3 केन्द्र इस वर्ष स्थापित किए जाएँगे ।
- गैर परम्परागत ऊर्जा नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
- राज्य बिजली बोर्ड ने जहां वर्ष 2005–06 में 936.77 करोड़ रू० राजस्व संग्रह किया था, वहीं वर्ष 2008–09 में बढ़कर 2034.75 करोड़ रू० संग्रह किया । Transmission & Distribution Loss(T&D Loss) भी इस अवधि में 42.83% से घटकर 37.83% हो गया। राज्य बिजली बोर्ड के घाटे को पूरा करने के लिए Resource Gap हेतु 1080 करोड़ रूपये का 2010–11 में प्रावधान किया गया है ।

ग्रामीण विकास विभाग

- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम-बिहार 2007 के अन्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2010-11 में 2472.22 करोड़ रूपये व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 476 कार्यक्रम पदाधिकारी, 846 कनीय अभियंता, 1056 पंचायत तकनीकी सहायक, 534 लेखापाल, 534 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 8463 पंचायत रोजगार सेवको की नियुक्ति की गई है।

  इस योजना के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं निगरानी में मजबूती प्रदान करने एवं मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता बरतते हुए किया जाय, इसके लिए दोषमुक्त मस्टर रौल संधारण हेतु 15.01 करोड़ रू. की लागत से पटना जिला में ई–मस्टर तकनीक पर आधारित **ई-शक्ति**/पायलट परियोजना की स्वीकृति दी गई है। ई–मस्टर रौल मूलतः बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित है, जिसके अन्तर्गत जॉब कार्डधारी जब अपनी उंगली को मशीन पर रखता है, तो उसके नाम के बगल में उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है। इस आधार पर समयानुसार भुगतान भी होगा तथा मस्टर रौल में भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। पटना जिला में **ई-शक्ति** कार्ड के लिए डाटा कलेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य के अन्य तीन जिले नालंदा, वैशाली एवं मुजफ्फरपुर में 'ई-शक्ति कार्ड' हेतु डाटा–कलेक्शन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

- राज्य की सभी पंचायतों में 10 लाख रूपए एवं प्रखंडों में 25 लाख रूपए की लागत से **राजीव गांधी सेवा केन्द्र**, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत बनाए जाएँगें। इसमें श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 होगा। प्रखंडों में बनने वाले केन्द्रों पर 133 करोड़ रू० तथा पंचायत हेतु 846 करोड़ रू० व्यय होंगे।
- **इन्दिरा आवास योजना** के तहत वर्ष 2010-11 में 8 लाख 91 हजार बी०पी०एल० परिवारों को प्रति परिवार 35 हजार की सहायता दी जाएगी। इस योजना पर कुल 3120 करोड़ रूपये व्यय होंगे।
- '**स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार** योजना' के अन्तर्गत 19,200 स्वयं सहयता समूहों को अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2010-11 में 400 करोड़ रू० अनुदान का लक्ष्य रखा गया है।

पंचायती राज विभाग

- वर्ष 2009–10 में **ग्राम पंचायतों** एवं **ग्राम कचहरियों** के **उपस्कर** हेतु 846.30 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं । पहली बार वैसी ग्राम कचहरियों, जिनका अपना भवन नहीं हैं, उन्हें अधिकतम 500.00 रू० (पाँच सौ रू०) प्रति ग्राम कचहरी प्रतिमाह किराया पर भवन हेतु राशि आवंटित की गई है ।
- **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि** परियोजना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन एवं विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तरालों को भरने के लिए राज्य के 36 जिलें (जहानाबाद एवं अरवल सम्मिलित रूप से) हेतु 640.69 करोड़ उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है । पंचायती राज संस्थाओं के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन हेतु 3.60 करोड़ का प्रावधान है । योजना के अंतर्गत कर्णांकित तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों में 'पंचायत–सरकार–भवन' निर्माण हेतु 177.00 करोड़ रू० उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है । वर्ष 2010–11 में विश्व बैंक से 120 मिलियन डालर ऋण–स्वरूप प्राप्त होने की संभावना है, जिससे पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु कई आधारभूत संरचनाओं का कार्य यथा 'पंचायत–सरकार–भवन' का निर्माण कार्य प्रमुख है ।

योजना एवं विकास विभाग

- **राष्ट्रीय सम विकास योजना (जिला)** – 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' अन्तर्गत पिछड़ा जिला पहल के तहत राज्य के 21 जिलों को सम्मिलित किया गया है । प्रति जिला 45.00 करोड़ रूपये की दर से कुल 945.00 करोड़ रूपये की योजनाएँ

अनुमोदित की गई हैं । इस योजना के तहत 1668 किलोमीटर पथ निर्माण, 27 बड़े आकार के पुल, विद्यालयों में 2627 अतिरिक्त कक्षा–निर्माण, 590 स्वास्थ्य केन्द्र, 1645 आँगनबाड़ी केन्द्र, 6 दुग्ध–चिलिंग–प्लांट का निर्माण किया जा रहा है ।

- **मुख्यमंत्री जिला विकास योजना**– राष्ट्रीय सम विकास योजना (जिला) के अंतर्गत चयनित 21 जिलों को छोड़कर राज्य के शेष 17 जिलों में योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के प्रत्येक जिले को 30 करोड़ रूपये की दर से कुल 510.00 करोड़ रूपये की योजनाएँ अनुमोदित हैं।
- राज्य सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिये विश्व बैंक की सहायता से एक केन्द्र प्रायोजित योजना India Statistical Strengthening Project (ISSP) स्वीकृत की गई है । इस प्रोजेक्ट के तहत State Statistical Strengthening Plan तैयार किया जा रहा है ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- वित्तीय वर्ष 2009–10 में 9391 लोगों के बीच 348.08 एकड़ **भूमि वितरित** की गयी। **दाखिल खारिज** के अंतर्गत 784939 वादों का निष्पादन किया गया है। राज्य के सभी अंचलों में प्रत्येक माह में **दो राजस्व–शिविरों** का आयोजन कर मामलों का निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। **भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण** के अन्तर्गत राज्य के कुल 45740 राजस्व ग्रामों में से कुल 3087 राजस्व ग्रामों में डाटा–इन्ट्री का कार्य पूरा कर लिया गया है जिसमें 40.17 लाख रूपये व्यय किया गया है। **सर्व मान चित्रों का डिजिटाईजेशन** के अंतर्गत कोशी, पूर्णियाँ प्रमंडल, सारण, नालन्दा, भागलपुर, मुँगेर एवं शेखपुरा जिले के मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का लक्ष्य है। शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में 417.49 लाख रूपए की राशि उपलब्ध है। **सरकारी भूमि के हस्तांतरण** में अबतक निगमों एवं उद्यमियों को 181.79 एकड़ तथा अन्यान्य विभागों के 369.07 एकड़ सरकारी भूमि हस्तांरित की गई है। राज्य में **18 नए अंचल** सृजित किये गए हैं। पंचायत एवं हल्का क्षेत्राधिकार को समरूपता प्रदान करने के लिए राज्य में पूर्व से 8463 पंचायतें एवं 4045 हल्कें हैं। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में हल्कों की संख्या बढ़ाकर 8463 करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है। **भूदान** कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,683 लाभान्वितों के बीच 2070.52 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है।

नगर विकास विभाग

- नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में राज्य योजना के लिए 1600.00 करोड़ करने का उपबन्ध किया गया है । इसके अन्तर्गत शहरी स्थानीय

निकायों को सहायक अनुदान हेतु 325.00 करोड़, परिवहन के लिए 20 करोड़ का अनुदान, नागरिक सुविधाएं हेतु 25 करोड़, समेकित आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु 150 करोड़, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन हेतु 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।

- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार (National Ganga River Basin Authority) के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है । राज्य के चार शहरों की सीवरेज योजनाएं की स्वीकृति मिल चुकी है । बेगुसराय (65.40 करोड़) बक्सर (74.95 करोड़), हाजीपुर (113.62 करोड़) तथा मुंगेर (187.89 करोड़) की सीवरेज योजनाओं का कार्यान्वयन 2010–11 में किया जाएगा । इस योजना का उद्देश्य है कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखा जाए तथा शहर का ड्रेनेज–सीवरेज का निष्कासन गंगा नदी में नहीं हों ।
- पटना में गंगा नदी के तटों के विकास हेतु **Patna River Front Development** योजना के तहत पटना कलक्टरी घाट से गांधी घाट तक पड़ने वाले प्रमुख घाटों का विकास, 6 मीटर चौड़े पैदल पथ का निर्माण एवं सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास किया जाएगा । इस योजना को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है । जिसकी कुल लागत राशि 154 करोड़ रू0 है ।
- राज्य के विभिन्न शहरों में अवस्थित 80 से अधिक **पार्कों के सौन्दर्यीकरण** के लिए 82.90 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। पटना में 5 पार्कों के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। 26 अन्य पर भी कार्य किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त पटना रेलवे स्टेशन के नजदीक 24 एकड़ से अधिक भूमि पर 130 करोड़ की लागत से एक भव्य बुद्ध स्मृति पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष के साथ एक दिव्य स्तूप का निर्माण हो रहा है। इस पार्क में विभिन्न देशों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के Meditation आदि की भी व्यवस्था हो रही है। इस पार्क का शुभारम्भ आदरणीय दलाई लामा से कराने की योजना है ।
- हार्डिंग पार्क स्थित **शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क** 22.71 एकड़ भू–भाग पर बनने वाले इस पार्क को एक फ्रीडम पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के योगदान का उल्लेख होगा। साथ ही, हरित पट्टी के रूप में नागरिकों को शिक्षाप्रद मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

निकायों के आय के साधन को बढ़ाना

- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 में नागरिकों को स्वयं होल्डिंग

टैक्स निर्धारण की व्यवस्था है। इसे इस वर्ष मुस्तैदी से लागू किया जा रहा है। 31 जनवरी, 2010 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी गयी थी। नये होल्डिंगों को कर के दायरे में लाने के लिए **विशेष एमनेस्टी स्कीम** लागू की गयी है, जो 28 फरवरी, 2010 तक लागू होगी। इस अभियान से यह आशा है कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दो गुनी से अधिक राशि की वसूली हो पायेगी।

- जन निजी भागीदारी (Public Private Partnership) प्रक्रिया के अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र के नूतन राजधानी अंचल के कुछ वार्डों की सफाई का जिम्मा निजी क्षेत्र को दिया है । Door to Door Collection, कूड़ा केन्द्रों से कचरा उठाकर Land Fill site पर पहुँचाना तथा शहर के मुख्य सड़कों की मशीन से सफाई आदि काम प्रारम्भ किया गया है । बेहतर काम करने पर पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र के Solid Waste Management कार्य इसी प्रकिया से कराया जाएगा ।
- मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, में निविदा द्वारा एजेन्सी का चयन कर लिया गया है । बिहार शरीफ, आरा एवं दरभंगा शहरों में भी PPP के आधार पर काम प्रारंभ किया जायेगा ।
- पटना में Land Fill site हेतु भू–अधिग्रहण कर ठोस अपशिष्ट (कचरा) की processing का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा ।
- नगर निकायों के लिए कार्यपालक पदाधिकारियों का एक अलग संवर्ग का गठन किया गया है और नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 124 निकायों के लिए **सिटी मैनेजर** की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।
- 2008–09 से प्रारंभ **मुख्यमंत्री नगर विकास योजना** के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों के समेकित विकास का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में 200 करोड़ तथा वर्ष 2009–10 में 315 करोड़ आवंटित किया गया है ।
- राज्य के नगर निकायों में विभिन्न योजनाओं के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए **Bihar Urban Infrastructure Development Corporation (BUIDCO)** का गठन किया गया है और इस निगम ने काम भी प्रारम्भ कर दिया है।
- राज्य के शहरी क्षेत्रों को e-governance योजना के तहत जोड़ा जा रहा है, ताकि निकायों के कार्य–कलापों में गति प्रदान हो, पारदर्शिता आये और आमजनों को सूचना सहित जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र आदि आसानी से उपलब्ध हो सके।
- शहरी क्षेत्र में बी0पी0एल0 सूची तैयार हो चुकी है और बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों के क्षमतावर्द्धन एवं **Skill Development** के लिए स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार

योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। 15 फरवरी को राज्य के लिए लगभग 37 संस्थाओं के माध्यम से बी0पी0एल0 परिवार के नौजवानों को **कम्प्यूटर प्रशिक्षण** की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है। पहले चरण में लगभग 15 हजार लोगों का नामांकन हुआ है। प्रशिक्षण के बाद इनकी परीक्षा ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा, जिससे उन्हें प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर स्व रोजगार का अवसर मिल सके। इसी प्रकार 24 फरवरी से आई0टी0आई0 में भी ऐसे नौजवानों के प्रशिक्षण की कार्रवाई शुरू की गयी है।

- DFID, UK की सहायता से राज्य में शहरी निकायों के क्षमतावर्द्धन के लिए **Support Programme for Urban Reform** प्रारम्भ किया गया है, जो अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगा। Asian Development Bank (ADB) द्वारा भी बिहार Urban Development Project तैयार करने हेतु तकनीकी सहायता देने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया जा चुका है। अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।
- 'वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार 'बिहार भवन किराया विनियमन अधिनियम 2010, Town Planning Bill, Building Bylaws तथा फूटपाथ दुकानदार एवं फैरी बिक्रीवालों के लिये' Policy बनाएगी।
- सिनेमा हाल खोलने तथा लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को विकेन्द्रित करते हुये सरलीकृत किया जाएगा तथा सिनेमा हाल के रख रखाव हेतु कर मुक्त Maintenance Fee लगाने का अधिकार दिया जाएगा ।

समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग का वर्ष 2005–06 का वास्तविक व्यय 263.62 करोड़ रूपये था । उस समय के समाज कल्याण के आँकड़े में समाज कल्याण के अलावा अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तीनों के व्यय कल्याण विभाग में ही कर्णाकिंत थे ।

वर्ष 2010–11 में समाज कल्याण विभाग का राज्य योजना में 1565.62 करोड़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 257.66 करोड़ तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 68.91 करोड़ का उपबंध किया गया है । अर्थात वर्ष 2005–06 में जहाँ 263.62 करोड़ व्यय हुआ था वहाँ वर्ष 2010–11 में 1892.19 करोड़ रू० व्यय होगा ।

महिला एवं बाल विकास प्रक्षेत्र

- 80,797 **आगँनबाड़ी** केन्द्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए Take Home राशन वितरण माह में दो दिन के स्थान पर एक ही दिन (15 तारीख) पूरे महीने का राशन घर ले जा सकेंगे। वर्ष 2009–10 में 959.29 करोड़ रू० का उपबन्ध है तथा वर्ष 2010–11 के लिए 976.66 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।
- राज्य के 544 प्रखण्डों में संचालित **समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS)** के प्रशासनिक व्यय हेतु 2009–10 में 335.69 करोड़ रू० का प्रावधान था और 2010–11 में 348.18 करोड़ रू० का बजटीय उपबन्ध है।
- 4.02 लाख प्रति भवन की दर से नाबार्ड के ऋण से 724 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। 2009–10 में 100 करोड़ रू० का बजट उपबन्ध है, जिससे 2487 आगँनबाड़ी केन्द्रों का भवन.निर्माण कराया जाएगा। वर्ष 2010–11 के लिए 142.89 करोड़ रू० का प्रावधान है ।
- प्रत्येक आगँनबाड़ी केन्द्र पर वयस्क एवं **बेबी तौल मशीन** तथा Medicine Kit हेतु जिला पदाधिकारियों को राशि उपलब्ध करा दी गयी है।
- National Institute of Child Development and Public Co-operation की क्षेत्रीय इकाई पटना में स्थापित करने की कारवाई की जा रही है। यहाँ बाल विकास एवं अन्य विषयों पर प्रशिक्षण, शोध एवं Documentation का कार्य होगा।
- राज्य द्वारा संचालित गृहों में रह रहे संवासिनों के लिए **विवाह अनुदान** की योजना लागू की गई है।

सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र

- **लक्ष्मीबाई (विधवा) पेंशन योजना** एवं **बिहार निःशक्तता पेंशन योजना** के अंतर्गत निर्धारित मानदंड के अनुसार 100 प्रतिशत विधवा विकलांग को आच्छादित करने का लक्ष्य है। 'लक्ष्मीबाई (विधवा) पेंशन योजना' के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की 60 हजार रू० तक वार्षिक आय वाली विधवाओं को 200 रूपए पेंशन का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में 65.92 करोड़ का उपबन्ध है तथा जनवरी–2010 तक 2.99 लाख विधवाओं को सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है। वर्ष 2010–11 में भी 65.92 करोड़ रू० कर्णांकित है। 'इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना' में 40–64 वर्ष आयु की

बी०पी०एल० परिवार की विधवा के लिए ही पेंशन का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में 44.91 करोड़ रू० का प्रावधान है तथा 2010–11 में 50 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

- **बिहार निःशक्तता पेशंन योजना** के अन्तर्गत 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए आयु एवं आय सीमा समाप्त कर दी गई है। शिविर लगाकर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 20.07 करोड़ रू० एवं 2010–11 मे भी 20.07 करोड़ रू० का उपबन्ध किया गया है। अभी तक 1,16,579 लोगों को 200 रू० पेंशन दिया जा रहा है। '**इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्ता पेंशन योजना**' के तहत 80 प्रतिशत विकलांगता, 18.64 वर्ष आयु तथा बी०पी०एल० के आधार पर पेंशन का प्रावधान है। वर्ष 2010–11 में 5 करोड़ रू० का प्रावधान है।

- **राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन**, जो 60–64 आयु वर्ष के लिए प्रावधानित है, के अन्तर्गत 2009–10 एवं 2010–11 में 24.01 करोड़ रू० का अलग–अलग प्रावधान किया गया है। जनवरी 2010 तक 94,780 व्यक्तियों का आच्छादन हुआ है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 64 वर्ष से अधिक आयु के बी०पी०एल० परिवारों को 200 रू० मासिक पेंशन का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में 506.06 करोड़ से 22.28 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाना है। वर्ष 2010–11 में 545.04 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

  वर्ष 2010–11 तक राज्य के 30 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा, विकलांग लोगों को विभिन्न पेंशन योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है।

- **विकलांगजनों** को सभी सरकारी नियोजन में 3% आरक्षण तथा आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दी गयी है। इसी प्रकार सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी 3% का आरक्षण दिया गया है।

- विकलांग जनों को रियायती दर पर बिना सलामी राशि के भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के** तहत, कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/–(पाँच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है। इस योजना के लिए पहले 60.00 करोड़ रूपये कर्णांकित किये थे इसे अब बढ़ा कर 80 करोड़ रू० कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल साठ करोड़ रूपये का योजना उद्व्यय है ।

- **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना** में गरीबी रेखा से नीच जीवन–बसर कर रहे परिवारों में उत्पन्न होने वाली दो कन्याओं के लिए 2000.00 रूपये का निवेश यू०टी.आई० में उनके जन्म के समय किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर उन्हें यह राशि मिल जायेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए पहले 12.00 करोड़ रूपये कर्णांकित किये थे। इसे अब बढ़ा कर 67 करोड़ रू० कर दिया गया है। अबतक 4.1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुकें हैं, जिसके विरूद्ध 2.17 लाख बांड निर्गत किया जा चुका है।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग का कुल योजना उद्व्यय 212.95 करोड़ रू० के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल योजना उद्व्यय 257.66 करोड़ रू० निर्धारित है ।

विभाग के द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार की **छात्रवृत्ति योजनाओं** के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न छात्रवृत्ति मदों में कुल 128.30 करोड़ रू० से 27,53,428 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2005–06 में 8.64 लाख छात्र–छात्राओं को, वर्ष 2006–07 में 11.30 लाख, 2007–08 में 22.30 लाख एवं वर्ष 2008–09 में 22.60 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है, जो वर्ष 2005–06 की तुलना में लगभग तीन गुणा है। लगभग 2009–10 में विभिन्न छात्रवृत्ति मद में 128.30 करोड़ रू0 से 27.53 लाख छात्र–छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होनवाले छात्र/छात्राओं को **''मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधा** वृत्ति योजना के तहत दस हजार रूपये देने की योजना 2008–09 में प्रारंभ की गयी है । वर्ष 2008–09 में 2112 अनु० जाति एवं 271 एस०टी० के छात्र–छात्राओं को मेधा वृत्ति योजना की स्वीकृति दी गयी है । वर्ष 2009–10 में 4.62 करोड़ रू० स्वीकृत किया गया है ।

राज्य सरकार द्वारा पश्चिम चम्पारण की **थारू जनजाति** एवं अन्य अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल 125.00 करोड़ रू० की योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है । इसके लिए **'समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण'** का गठन किया गया है । वर्ष 2010–11 के बजट में 8.22 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है ।

बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास हेतु प्रथम चरण में कुल 288.19 करोड़ रू० की परियोजना की स्वीकृति दी गई है । 'बिहार महादलित विकास मिशन' को अभी तक 82.80 करोड़ रू० उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पोशाक योजना हेतु 40 करोड़ रू०, महादलित शौचालय योजना हेतु 7 करोड़ रू० सभी जिलों को विमुक्त कर दिया गया है । वर्ष 2010–11 में महादलित विकास हेतु 91.00 करोड़ रू० का प्रावधान है ।

वर्ष 2009–10 में **'दशरथ मांझी कौशल विकास योजना'** के माध्यम् से महादलित युवकों एवं युवतियों को निशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है। 'विकास मित्र' के चयन की प्रकिया शुरू की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा अनु. जाति और जनजातीय आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत भोजन एवं वस्त्र की दरों में लगभग दुगुना वृद्धि कि गयी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- **पिछडे वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं** के लिए छात्रावास निर्माण योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में दो छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के तहत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष तक कुल उनतीस (29) छात्रावासों के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग को कुल 3323.93 लाख उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 3.70 करोड़ राज्यांश के रूप में बजट उपबन्ध किया गया है। राज्यांश के समतुल्य केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने पर लगभग 54 करोड़ रूपये से 30 अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण छात्रावास का निर्माण हो सकेगा।
- **जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना** के अर्न्तगत राज्य के सभी जिलों में एक–एक छात्रावास का निर्माण किये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल दस करोड़ रूपये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को राशि उपलब्ध करा दी गई है। पूर्णियाँ, बेगूसराय एवं मधुबनी में भूमि की उपलब्धता के आधार पर प्रति इकाई 1.87 करोड़ की लागत से कुल 5.61 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।
- **छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (50:50)** में वित्तीय वर्ष 2009–10 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) से 100.00 लाख एवं राज्य योजना से 100.00 लाख कुल (दो करोड़ रूपये) का बजट उपबंध किया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 45.744 पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने हेतु राशि जिला कल्याण पदाधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य

योजना से दो करोड़ राज्यांश के रूप में तथा दो करोड़ केन्द्रांश के रूप में कुल 4 करोड़ बजट उपबन्ध प्रस्तावित है। इससे 91488 छात्र/छात्राएँ लाभावित होंगे।

- **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति** में वित्तीय वर्ष 2009–10 राज्य योजना से 1000.00 एवं केन्द्र प्रायोजित योजना से बीस करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 3600 छात्र–छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकेगी।
- **उच्च विद्यालय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय छात्रवृति (राज्य योजना)** के अतंर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य योजना से उपबंधित कुल राशि बीस करोड़ रूपये जिला कल्याण पदाधिकारियों को छात्रवृति मद में आवंटित की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 4,43,518 छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजना बजट में बीस करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अल्प संख्यक कल्याण विभाग का राज्य योजना का वास्तविक व्यय 2005–06 में 12.48 करोड़ था जिसे 2010–11 में बढ़ाकर 61.30 करोड़ रखा गया है।

- राज्य योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं **छात्रावास,** हेतु अल्पसंख्यक समुदाय की महान विभूतियों के नाम पर **मेमोरियल/आडोटोरियम** भवन का निर्माण, **राष्ट्रीय** अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली को राज्य का हिस्सा पूंजी, **बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम** को राज्य का हिस्सा पूंजी, **मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना**, मुस्लिम **परित्यक्ता महिलाओं** को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता, **वक्फ** सम्पत्ति के विकास हेतु रिवालविंग फंड के रूप में अनुदान, वक्फ सम्पत्ति के **सर्वे** का **कम्प्यूटरीकरण**, वक्फ सम्पत्ति के रख–रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन की योजना, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए **छात्रवृत्ति योजना**, राज्य **कोचिंग** योजना एवं **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन** योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

  इसके अतिरिक्त **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति** तथा अल्पसंख्यकों के **बहुक्षेत्रीय विकास योजना** के लिए राज्यांश भी राज्य योजना से दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में इसके लिए 5019.40 लाख रूपये का योजना उद्व्यय प्राप्त है। आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 में उपर्युक्त योजनाओं को पूरा करने हेतु 6130.45 लाख रूपये का योजना उद्व्यय निर्धारित है।

- इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना गत योजना/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**, पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना,

मेधा –सह– आय आधारित तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्य हेतु छात्रवृत्ति योजना, **अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रीय विकास योजना** तथा केन्द्रीय फ्री कोचिंग योजना भी कार्यान्वित कराई जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 में इन योजनाओं के लिए रूपये 30354.53 लाख रूपये केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त करने का अनुमान है जिसके लिए बजट में प्रावधान प्रस्तावित है।

उद्योग विभाग

उद्योग विभाग का राज्य योजना मद में वास्तविक व्यय वर्ष 2005–06 में 19.31 करोड़ था जिसे वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर 472.45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

- राज्य के 07 जिलों में **बुनकर कलस्टरों** के समन्वित विकास हेतु बिजनेस–प्लान तैयार किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनकरों को स्थायी रोजगार का अवसर प्रदान करना है, जिसमें कुल 68.6 करोड़ रूपये व्यय अनुमानित है।

- जूट प्रक्षेत्र के विकास हेतु बिजनेस–प्लान तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत पूर्णियां मरंगा में एक **जूट पार्क** की स्थापना SPV के माध्यम से की जायेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 59.00 करोड़ रूपये है। इसमें राज्य सरकार का अंशदान 16.20 करोड़ रूपये है।

- **नेशनल इन्स्टीयूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी,** पटना केन्द्र उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान में अध्ययन कार्य चल रहा है, निफ्ट की परियोजना की स्थापना लागत 58.65 करोड़ रूपये है, जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 8.40 करोड़ रूपये का उद्व्यय प्रस्तावित है।

- **औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण** का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण के विकास हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है तथा 2010–11 में 115 करोड़ रूपये का उपबंध प्रस्तावित है ।

- राज्य के औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता आवश्यक है। इसके लिए 'आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार' के अन्तर्गत **लैंड–बैंक** का सृजन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 04 क्षेत्रीय विकास केन्द्र हेतु भूमि–अर्जन करने का प्रस्ताव है। रोहतास इण्डस्ट्री एवं चीनी मिल की भूमि का क्रय प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2009–10 में 264.52 करोड़ रूपये का उपबंध है तथा 2010–11 में 282.31 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है ।

- **'राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद्'** द्वारा अबतक 275 प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें **कुल** प्रस्तावित पूँजी निवेश 142786 करोड़ रुपये है। अबतक निवेश की गई राशि लगभग 1062.98 करोड़ रुपये है। कुल 29 इकाइयाँ उत्पादन में आयी हैं और 21 प्रस्ताव कार्यान्वयन के एडवांस स्टेज में हैं।

- **लघु उद्योग** प्रक्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2009–10 में नवम्बर, 09 तक कुल 2563 इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, जिनमें 61.95 करोड़ रुपये पूँजी निवेश एवं 8575 लोगों को नियोजन प्राप्त हुआ है।

- बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 23(4) में **कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग** के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए थे। परन्तु पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC 5529/1995 में दिनांक 30.05.2007 को पारित आदेश में इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। वर्त्तमान में कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

  राज्य सरकार शीघ्र ही कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनों के सम्परिवर्तन के लिए विधेयक लाएगी।

- **बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार** (BIADA) के अन्तर्गत जहाँ वर्ष 2006–07 में 346 इकाइयाँ कार्यरत थी, वहीं उनकी संख्या 2009–10 में बढ़कर 830 हो गई है और 215 इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं । वर्ष 2009–10 में 85 इकाईयों को 471.19 एकड़ जमीन आवंटित की गई जिसकी परियोजना लागत 4874.47 करोड़ है।

- BIADA के अन्तर्गत गिधा, बरारी, मरंगा (पूर्णियाँ), बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति हेतु स्वतंत्र फीडर निर्माण के सम्बन्ध में विद्युत बोर्ड को 4 करोड़ से अधिक की राशि उपलब्ध कराई गई जिसके विरूद्ध बरौनी एवं समस्तीपुर में फीडर चालू है।

- औद्योगिक नीति 2006 में आवश्यक संशोधन करते हुये **पर्यटन** को **उद्योग** का दर्जा दिया गया है।

- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** के विकास हेतु उद्यमियों में जागरूकता लाने के लिये इस वित्तीय वर्ष में 10 स्थानों यथा पटना, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगुसराय, वाराणसी, रॉची, बेगलूरू, मुम्बई एवं भुवनेश्वर में 'रोड–शो' का आयोजन किया गया है। उद्योग विभाग के 'प्रोजेक्ट एप्रुभल एण्ड मोनिटरिंग कमिटी' द्वारा खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के निजी प्रक्षेत्र के 41 प्रस्तावों को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा निजी प्रक्षेत्र की 20 परियोजनाओं के डी०पी०आर० स्वीकृत की गई है। इस प्रक्षेत्र में अबतक

कुल 96 इकाइयो को राज्य प्रोत्साहन निवेश पर्षद (SIPB) ने स्वीकृति दी है, जिसमें 2187.00 करोड़ रूपये का पूंजीनिवेश प्रस्तावित है। अबतक खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में 11 इकाइयों में उत्पादन प्रारम्भ हुआ है।

- **श्री त्रिपुरारी शरण** को जीवन पर्यन्त खादी के विकास एवं गरीब बुनकरों को रोजगार देने एवं आर्थिक समृद्धि में सहयोग करने के लिए राज्य सरकार से जीवन पर्यन्त **''उपलब्धि सम्मान''** तथा खादी के विकास में सराहनीय उपलब्धि हेतु **''बिहार खादी पुरूष''** की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
- **बिहार राज्य वित्तीय निगम** द्वारा 15 वर्षों के बाद वित्त पोषण कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । निगम एवं भारतीय लघु उद्योग विकास (SIDBI) संयुक्त रूप से अगले एक वर्ष में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSME) सेक्टर में लगभग एक सौ करोड़ रू० की राशि निवेश करेगा।

सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग

- राज्य की **I.T. Policy** शीघ्र घोषित की जायेगी।
- वर्ष 2010–11 में राज्य योजनान्तर्गत 206.83 करोड़ का उपबंध है जिसमें मुख्य रूप से सचिवालय स्थानीय नेटवर्क के लिए 10 करोड़, Bihar State Wide Area Network (SWAN) हेतु 109 करोड़ एवं सूचना प्रावैधिकी भवन हेतु 5 करोड़ का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2010–11 में Common Service Centre, Knowledge City, State Data Centre, e-distt. जैसी परियोजनायें ली जायेगी।
- **SEC-LAN :** सेक्लेन परियोजना जो कि सचिवालय परिसर को आपस में कम्प्यूटर के माध्यम से Inter Linked करने की येाजना है, को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जा चुका है । इसके पूर्ण होने से राज्य के सभी सचिवालय यथा मुख्यमंत्री सचिवालय, पुराना सचिवालय, विकास भवन, विश्वेश्वरैया भवन, टेक्नोलोजी भवन एवं सिंचाई भवन आदि को एक–दूसरे से जोड़ा जा चुका है ।
- **e-Purchase :** यह योजना राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्त विभाग के माध्यम से लागू की गई है, जिसके तहत राज्य सरकार के अन्तर्गत सभी निविदाओं का निष्पादन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाना सम्भव हो रहा है । प्रारम्भ में यह येाजना Pilot स्तर पर सभी कार्य विभागों में लागू की गयी है, जिसे कालान्तर में सभी विभागों तक विस्तारित किया जा सकेगा।
- **e-Governance(State Plan) :** यह योजना पूर्ण रूप से राज्य योजना है, जिसके

अन्तर्गत राज्य के विभिन्न कार्यालयों/निगमों/आयोगों/वे सभी कार्यालय, जो राज्य सरकार के अन्तर्गत आते है; को कम्प्यूटरीकृत किया जा सके। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस येाजना को बिहार लोक सेवा आयोग एवं ललित नारायण मिश्रा संस्थान को कम्प्यूटरीकृत कर मूर्त रूप दिया जा रहा है । इस येाजना के लागू होने के फलस्वरूप, राज्य सरकार की Less Paper Office की अवधारणा पूर्ण हो सकेगी।

गन्ना उद्योग विभाग

- **'बिहार राज्य चीनी निगम'** की बन्द पड़ी **लौरिया** एवं **सुगौली** इकाई को भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा 304.39 करोड़ रू० एवं 309.15 करोड़ रू० की लागत से 3500 TCD क्षमता की चीनी मिल, 60 KLPD क्षमता की डिस्टलरी एवं 20 MW सह विद्युत उत्पादन प्रति इकाई हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । वर्ष 2010–11 में उत्पादन प्रस्तावित है ।
- **रैयाम** एवं **सकरी** इकाई को भी निविदा प्रक्रिया के फलाफल के आधार पर तिरहुत इण्डस्ट्रीज को हस्तांतरित करने हेतु LOI निर्गत किया गया है । कम्पनी ने 10 प्रतिशत की राशि जमा कर दी है । शेष इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु तृतीय निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई आरम्भ की गई है ।
- गन्ना फसल को **'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना'** में सम्मलित किया गया है ।
- गन्ना किसानों की समस्याओं से निदान दिलाने हेतु गन्ना उद्योग विभाग द्वारा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा में **निःशुल्क 'कॉल.सेन्टर'** की स्थापना की गई है । किसान इस कॉल–सेन्टर पर निःशुल्क फोन द्वारा सम्पर्क करते हैं तथा खेती संबंधी अपनी समस्याओं का वैज्ञानिकों द्वारा निदान प्राप्त करते हैं । यह टॉल फ्री कॉल सेन्टर है ।
- राज्य सरकार द्वारा निर्गत **प्रोत्साहन पैकेज** से प्रेरित होकर हरिनगर चीनी मिल, न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज एवं भारत सुगर मिल, नरकटियागंज ने अपनी क्षमता को विस्तारित करने का कार्य सम्पन्न कर लिया है । चालू पेराई सत्र में रीगा चीनी मिल एवं मंझौलिया चीनी मिल भी अपनी पेराई–क्षमता को विस्तारित कर गन्ने की पेराई कर रही है। हसनपुर चीनी मिल द्वारा भी 3000 TDS की विस्तारित क्षमता से पेराई की जा रही है ।
- हरिनगर चीनी मिल में 45 KLPD की एक नई **डिस्टीलरी** लगी है तथा रीगा डिस्टीलरी के साथ ईथेनॉल निर्माण करने की इकाई जोड़ी गई है । नरकटियागंज डिस्टीलरी का भी 60 KLPD तक क्षमता–विस्तारीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है । इन तीनों डिस्टीलरी में इथेनॉल का भी उत्पादन हो रहा है ।

- नरकटियागंज एवं सिधवलिया चीनी मिलों द्वारा **सह विद्युत उत्पादन** किया जा रहा है तथा अतिरिक्त उत्पादित ऊर्जा की आपूर्ति BSEB को की जा रही है ।

श्रम संसाधन विभाग

- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन** – राज्य सरकार 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' के कार्यान्वयन के लिए कृत संकल्प है । समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण तथा अधिनियम का इन्फोर्समेन्ट किया जाता है । प्रत्येक छः माह पर अनुसूचित नियोजनों में संलग्न श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है । अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2010 तथा 1 अक्टूबर 2010 के प्रभाव से अनुसूचित नियोजनों में संलग्न श्रमिकों को परिवर्तनशील महँगाई भत्ते का लाभ दिया जायगा । न्यूनतम मजदूरी का लाभ मजदूरों तक मिले, इसके लिए प्रत्येक पंचायत में 'श्रम चेतना सैनिक' के रूप में कार्य करने हेतु मजदूरों को चिन्हित किया गया है ।
- **श्रम अधिनियमों का सरलीकरण** – राज्य में निवेश का वातावरण सृजित करने के लिए कारखाना नियमावली में संशोधन कर लाईसेन्स देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है । बड़े कारखानों में 5 वर्षों के लिए लाईसेन्स देने तथा प्रति 5 वर्षों के बाद लाईसेन्स के नवीकरण का प्रावधान किया गया है । कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अन्तर्गत अधिसूचित छोटे कारखानों के लाईसेन्स के नवीकरण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है ।
- **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण योजना** – भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूरों के कल्याण के लिए 12 कल्याणकारी योजनाएँ जनवरी 2010 से प्रारंभ की गयी है । इसके अन्तर्गत चिकित्सा–सहायता, प्रसूति–सहायता, बच्चों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता, पुत्री की शादी के लिए विवाह सहायता, दुर्घटना अनुदान, पेंशन तथा मकान एवं औजार खरीदने के लिए ऋण देने की योजना है । बिहार देश के उन 6 राज्यों में शामिल हो गया है, जहाँ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के कल्याण की योजनाएँ चल रही हैं ।
- **नियोजन–सह–मार्गदर्शन मेला** – वर्ष 2008–09 से प्रारंभ कर जिला एवं प्रमंडल स्तर पर नियाजन–सह–मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में अब तक 19 हजार से अधिक आवेदकों को इन मेलों के माध्यम से रोजगार दिलवाया गया है। अगले वर्ष इन मेलों का विस्तार कर सभी जिलों में मेला आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

- **बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो** – सरकार ने राज्य में कुशल श्रम शक्ति को समुद्र पार के देश में नियोजन दिलाने में, सक्षम बनाने के लिए बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरों स्थापित करने का निर्णय लिया है ।

- **नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना** :– राज्य के उन जिलों/प्रखण्डों में, जो अब तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से अनाच्छादित हैं, नये औद्योगिक संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में कुल 5 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का लक्ष्य है । इसी प्रकार जन–निजी भागीदारी माध्यम से कुल 105 अनाच्छादित प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा पंचायत स्तर पर कौशल–विकास–केन्द्र खोलने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है । सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी । अगले वित्तीय वर्ष में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से अब तक अनाच्छादित सहरसा प्रमण्डल मुख्यालय में महिला प्रशिक्षण संस्थान खोलने का लक्ष्य रखा गया है । निजी क्षेत्रों को भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की तर्ज पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है । अब तक 250 केन्द्र खोलने की मंजूरी दी गयी है । अगले वित्तीय वर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कल्याण बिगहा, बाँका, बेतिया, बेगूसराय, मुंगेर, हाजीपुर, महिला, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना तथा भागलपुर में नये भवनों के निर्माण/पुराने भवनों की मरम्मती पूरा किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

- नवीनगर (औरंगाबाद) में जन–निजी–भागीदारी माध्यम से भारतीय रेल बिजली कम्पनी लि० एवं राज्य सरकार के सहयोग से **नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । इसके अन्तर्गत भारतीय बिजली कम्पनी अपने स्रोत से संस्थान की आधारभूत संरचना का निर्माण करेगी तथा संस्थान के संचालन हेतु उसे राज्य सरकार को सौंप देगी ।

- **समर्थ परियोजना** – वर्ष 2009–10 में इग्नू के साथ सरकारी कर्मियों एवं युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ परियोजना की स्वीकृति दी गयी है । इस योजना के अन्तर्गत सरकार कर्मियों को सौफ्ट स्किल का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अगले 6 वर्षों में 10 लाख से भी अधिक युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायगा । 'समर्थ परियोजना' अन्तर्गत लगभग 400 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएँगे जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे । अगले वित्तीय वर्ष में इस परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया जायेगा तथा सभी केन्द्र स्थापित हो कर कार्यशील हो जाएँगे ।

- **राज्य कौशल विकास मिशन की स्थापना** – राज्य के युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य कौशल विकास मिशन की स्थापना की जायेगी । मिशन में सरकार के विभिन्न विभागों के अलावे निजी क्षेत्र के उद्यमियों तथा विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जायेगा ।

- **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण** – राज्य के 4 प्रशिक्षण संस्थानों यथा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, तथा भागलपुर में प्रशिक्षण के निमित्त नयी मशीनों का प्रबंध किया जाएगा, ताकि छात्र उन मशीनों पर प्रशिक्षण ले सकें, जिनका उपयोग बड़े कारखानों में होता है । आधुनिकीकरण की इस प्रकिया में विशेषज्ञों की भी सेवा ली जायेगी ।

गृह विभाग

गृह विभाग का राज्य योजना 2005–06 में वास्तविक व्यय 9.16 रखा गया था जिसे वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर 100.55 करोड़ रू० किया गया है ।

- **कब्रिस्तानों की घेराबंदी** के लिये वर्ष 2009–10 में 51.63 करोड़ रूपये व्यय किया जाना है। वर्ष 2010–11 में 30.67 करोड़ रू० का उपबंध किया गया है । राज्य में अभी तक 8064 कब्रिस्तानों में से 1253 की घेराबंदी कर दी गई है ।

- **पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण**/उन्नयन हेतु वर्ष 2009–10 में 43.87 करोड़ रू० का उपबंध था । वर्ष 2010–11 में 38.65 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है ।

- **विद्रोह–रोधी** एवं **आतंकवाद–विरोधी** 3 विद्यालय यथा बिहार सैन्य पुलिस डेहरी, बोधगया एवं डुमराँव में स्थापित करने हेतु 4.5 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त की गई है । इसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 73 पदों के सृजन की सहमति दी गई है ।

- राज्य सरकार ने **गृह रक्षकों** के दैनिक भत्ता 125/– रूपये से बढ़ाकर 200/– रू० कर दिया है तथा कार्य के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रू० कर दिया गया है । 17 वर्षों के बाद गृह रक्षकों का नव नामांकन एवं बुनियादी प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है ।

- **जे०पी० आन्दोलन पेंशन योजना** – जे०पी० आन्दोलन के दौरान मीसा, डी०आई०आर० में एक माह से अधिक समय तक निरूद्ध रहने वाले सेनानियों को सम्मान पेंशन देने का निर्णय लिया गया है । एक माह से 6 माह तक जेल में रहने वालों को 2500 रू० एवं 6 माह से अधिक समय तक निरूद्ध रहने वाले सेनानियों को

5000/– रूपये प्रति माह दिया जायेगा । 1686 लोगों को 'सम्मान पेंशन' उच्चस्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति दी गयी है, जिन्हें जून 2009 से भुगतान किया जायेगा, शेष लोगों के आवेदन की समीक्षा की जा रही है । इसके लिये बजट में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

- **पुलिस के आधुनिकीकरण** – हेतु 2009–10 में 103.19 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी है ।

निगरानी विभाग

- **ट्रैप केसेज** में गति लाने एवं **प्रत्यानुपातिक** धनार्जन के मामले के शीघ्र उद्भेदन के उद्देश्य से विशेष (निगरानी) इकाई को नवम्बर 2011 तक के लिए विस्तारित किया गया है।
- निगरानी विभाग के सभी **दूरभाष** संख्याओं को विज्ञापित कर जनता से सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त करने की ठोस पहल की गयी है, जिसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- ट्रैप केसेज को बढ़ावा देने तथा योजनाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए जिला स्तरीय टीमों का गठन किया गया है। भ्रष्ट लोक सेवकों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति तथा राज्य सरकार के राशि के दुर्विनियोग, गबन, राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की सूचना के आधार पर दर्ज कांडों में आरोप–पत्र समर्पित होने पर सूचक को 1000/– रू० से 50,000/– रू० तक पुरस्कृत करने की योजना लागू कर दी गयी है।
- **आय से अधिक सम्पत्ति को जप्त करने के मामले में राज्य सरकार ने 'बिहार विशेष न्यायालय विधयेक, 2009' को विधान मंडल से पारित कराकर, इस पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजा था, सम्प्रति इस पर महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसकी नियमावली को भी राज्य–मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।**
- वर्ष 2006 से ट्रैप केसेज की गति में जो बढ़ोत्तरी हुई है, वह आज भी जारी है। 2006 में 60, वर्ष 2007 में 108, वर्ष 2008 में 80, एवं वर्ष 2009 में 78, एवं जनवरी' 2010 तक 3 ट्रैप केसेज में अब तक 391 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। दर्ज 330 कांडों में से 305 मामलों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अभी तक निष्पादित कांडो की संख्या–16 है। 14 कांडों में सजा हुई है तथा 2 में रिहाई हुई है। आय से अधिक सम्पति के मामले में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

- तकनीकी परीक्षा कोषांग द्वारा कार्य विभागों के स्तर से सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु एक चलन्त गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का गठन आधुनिक तकनीक पर आधारित उपकरणों से किया गया है। एक करोड़ से ऊपर की लागत पर चल रहे निर्माण कार्यों का सतत् औचक निरीक्षण तकनीकी कोषांग के अभियंताओं द्वारा कराया जा रहा है।

विधि विभाग

- 'बिहार राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकार नियमावली, 1996' की धारा–16 के संशोधन के उपरांत निःशुल्क विधिक सहायता हेतु वार्षिक आय की सीमा अब 25,000/– रू० (पच्चीस हजार रूपये) से बढ़ाकर 50,000/– रू० (पचास हजार रूपये) किया गया है, जो दिनांक–25.09.2009 से प्रभावी है ।
- राज्य के 34 जिलों में नये लोक अभियोजक, 35 जिलों में अपर लोक अभियोजक, 22 जिलों में नये सरकारी वकीलों तथा विभिन्न जिलों में विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अभी तक 141 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किये जा चुके हैं ।
- वर्ष 2008 में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 24975, परिवार न्यायालयों द्वारा 9031, लोक अदालतों द्वारा 2977, मोबाईल लोक अदालतों द्वारा 31309, विशेष लोक अदालतों द्वारा 11512 वादों का निष्पादन किया जा चुका है ।
- वर्ष 2010–11 में बांका जिला में 'न्याय मंडल' की स्थापना हेतु भूमि अर्जन, नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों के लिये न्यायालय भवन, कार्यालय कक्ष इत्यादि के निर्माण से संबंधित उपबंध प्रस्तावित हैं ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

बी०पी०एल० योजना

वर्ष 2007–08 में ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा क्रमशः राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पुनरीक्षित सर्वेक्षण कराया गया है जिसके अनुसार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 1,22,08,471 है, जिसमें से कुल 97,07,471 परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। शेष 25,01,000 परिवारों का अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बी०पी०एल० योजना के अधीन अनुदानित

दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है । वर्तमान में इस योजना के अधीन राज्य के सर्वेक्षित 97,07,471 बी०पी०एल० परिवारों को 15 किलो चावल एवं 10 किलो गेहूँ प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है ।

इस प्रकार राज्य के नवसर्वेक्षित कुल 1,22,08,471 परिवारों को बी०पी०एल० एवं अन्त्योदय योजना के अधीन कूपन के आधार पर खाद्यान्न एवं किरासन तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **अन्त्योदय अन्न योजना** के अंतर्गत 25.01 लाख परिवारों को 2 रूपये किलो गेहूँ एवं 3 रूपये किलो चावल की दर से 35 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह की दर से आपूर्ति की जा रही है। **अन्नपूर्णा अन्य योजना** के तहत 1.66 लाख परिवारों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। 14.52 लाख APL परिवारों को भी भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित होने पर वितरित किया जाता है।
- जन वितरण प्रणाली के अंतगर्त ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्डधारियों को 3 लीटर तथा शहरी क्षेत्रों में 2.5 लीटर किरासन तेल एवं सभी BPL परिवारों को आधा किलो चीनी उपलब्ध कराया जाता है।

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग का राज्य योजना का 2005–06 में वास्तविक व्यय 9.94 करोड़ था जिसे 2010–11 में बढ़ाकर 30.44 करोड़ किया गया है।

- **आकाशीय रज्जूपथ, राजगीर की स्थापना हेतु** मेसर्स राईट्स लिमिटेड, गुड़गाँव के माध्यम से 10.84 करोड़ के परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण कराया जा चुका है, जिसका कार्यान्वयन किया जाना है।
- **पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम** के अन्तर्गत होटल कौटिल्य बिहार, पटना, होटल सुजाता विहार, बोधगया, होटल गौतम विहार, राजगीर के भू–खण्ड पर सितारा होटल का निर्माण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में पर्यटन विभाग के राज्य एवं केन्द्र निधि से 49 योजनाएँ प्रस्तावित हैं जिसमें :–

- काँवरिया पथ, सुल्तागंज से देवघर तक विभिन्न पर्यटकीय सुविधाओं एवं सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नई दिल्ली के सहयोग से सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था आदि का विकास किया जाएगा।

- मंदार पर्वत, बाँका में रज्जूपथ की स्थापना ✤ विक्रमशिला का विकास ✤ वैशाली का समेकित विकास ✤ नालन्दा, बोधगया, पटना, वैशाली एवं बक्सर में ध्वनि एवं प्रकाश संयन्त्र की स्थापना ✤ मनेरशरीफ का विकास एवं सौन्दर्यीकरण ✤ आकाशीय रज्जूपथ, राजगीर के नजदीक पर्यटकीय संरचनाओं का विकास ✤ पटना में गंगा के विभिन्न घाटों को जोड़ते हुए इनका विकास एवं सौन्दर्यीकरण ✤ देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद समाधि स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण ✤ बोधगया में कन्वेंशन सेन्टर का विकास ✤ शेरशाह का मकबरा, सासाराम एवं रोहतासगढ़ किला का विकास ✤ सोनपुर मेला स्थल का विकास आदि प्रमुख हैं।
- पर्यटकीय संरचनाओं के विकास पर राज्य योजना के अंतर्गत 28.43 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण यथा गाईड, ट्रेवेल ट्रेड, टूरिज्म ऑपरेटर, आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग के शॉर्ट कोर्सेस इत्यादि कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।
- राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सुरक्षा एवं मैत्रीपूर्ण सेवा के लिये **पर्यटन सुरक्षा बल** के गठन का नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है तथा तत्काल आऊट सोर्सिंग के आधार पर प्रतिनियुक्ति का मामला प्रक्रियाधीन है।
- मेसर्स पवन हन्स हेलिकॉप्टर्स लि०, नई दिल्ली द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जा चुका है तथा बौद्ध **परिपथ में एयर टैक्सी सेवा** के परिचालन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की राज्य योजना का वास्तविक व्यय 9.59 करोड़ रू० था, जिसे वर्ष 2010–11 में बढ़ाकर 85.66 करोड़ रू० प्रावधान किया गया है ।

- **मुख्यमंत्री क्रिकेट टूर्नामेंट**– क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रतिभा–प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने हेतु 'मुख्यमंत्री क्रिकेट टूर्नामेंट' का आयोजन प्रस्तावित है । जिला, जोनल एवं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट फरवरी–मार्च 2010 में आयोजित किया जायेगा । जोनल टूर्नामेंट में प्राथमिकता के आधार पर भाग लेने वाले टीम के सदस्यों को मार्ग–व्यय, भोजन एवं आवास की सुविधा दी जायेगी, इस प्रतियोगिता हेतु राज्य को चार जोनों में बाँटा गया है ।
- **बिहार साईक्लिंग अभियान**–पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा शहरी क्षेत्र में जाम से निजात के प्रति लोगों को जागरूक करने के

लिए बिहार साईकिल क्लब के माध्यम से पूरे राज्य में साईक्लिंग अभियान चलाया जा रहा है । जिला स्तर पर साईक्लिंग रैली–कम–रेस का आयोजन फरवरी के द्वितीय सप्ताह में तथा राज्य स्तरीय आयोजन फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है ।

- राजगीर में **अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर** के निर्माण हेतु 33.56 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । इसमें विरासत संग्रहालय, कांफ्रेस हॉल, कान्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जायेगा ।
- 1917 में स्थापित पटना संग्रहालय में सैकड़ों सामग्रियों को प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त स्थान नहीं है । राज्य सरकार ने बेली रोड, पटना के दो नंबर से 7 नंबर तक के सरकारी बंगलों के स्थान पर **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय** बनाने का निर्णय लिया है ।
- **'विद्यापति भवन'** पटना को भी अत्याधुनिक प्रेक्षागृह में परिवर्तित करने हेतु कार्य चल रहा है ।
- **रवीन्द्र भवन,** पटना के सांस्कृतिक परिसर के समेकित विकास हेतु 1.50 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है । जून 2010 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा ।
- **प्रेमचंद रंगशाला** तथा **कंकड़बाग इंडोर स्टेडियम** का निर्माण जून 2010 तक पूरा कर लिया जायेगा ।
- वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंतर्गत नालन्दा जिला अन्तर्गत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तेलहाड़ा का उत्खनन् कार्य आरम्भ किया गया है । बिहार में पुरातात्विक स्थलों/स्मारकों से संबंधित "Heritage building of Bihar" का प्रकाशन अंतिम चरण में है ।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता में प्रचारित करने तथा जनता की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराने का दायित्व निभानेवाले सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा राज्य के 37 जिलों में प्रति इकाई 33.69 लाख रू० की लागत से आधुनिक तकनीकयुक्त **37 सूचना भवनों** का निर्माण कराया जा रहा है। 14 जिलों में नये सूचना–भवनों का उद्घाटन हो चुका है एवं शेष 21 जिलों में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में सूचना भवनों का निर्माण–कार्य पूर्ण होना है। वर्ष 2010–11 में जिला सूचना–भवनों की चहारदीवारी का निर्माण एवं सम्बंधित अन्य कार्यों के लिए 2.40 करोड़ रू० उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

विभाग को 'क्षेत्रीय प्रचार योजना' के तहत, बिहार में विकास एवं निवेश के लिए वातावरण–निर्माण हेतु विभिन्न प्रचार–माध्यमों के उपयोगार्थ 5 करोड़ 36 लाख 43 हजार रू० तथा 'क्षेत्रीय प्रचार योजना–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रदर्शनी, नुक्कड़नाटक, फिल्म, प्रदर्शनी, होर्डिंग/फ्लैक्स आदि प्रचार–माध्यमों से सरकारी कार्यक्रमों के प्रचारार्थ 75.00 लाख रू० उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

'क्षेत्रीय प्रचार योजना' के तहत विशेष प्रचार अभियान के अन्तर्गत बिहार–विडियो–डायरी, लघु–वृत्तचित्रों का निर्माण, 'बिहार' समाचार पत्रिका का प्रकाशन आदि प्रचारात्मक कार्य कराए जाएँगे।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 से **"सामान्य प्रशासन विभाग**" के नाम से जाना जायेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन प्रमंडल/जिला/अनुमंडलों का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण दिनांक–01.04.2010 से "सामान्य प्रशासन विभाग" के नियंत्रणाधीन होगा।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत जितने भी संवर्ग कार्यरत हैं, उन सभी के प्रोन्नति.मामले को अद्यतन किया जा रहा है। 'बिहार प्रशासनिक सेवा' के संयुक्त सचिव, अपर समाहर्त्ता, कनीय प्रवर कोटि में प्रोन्नति दे दी गयी है। उसी प्रकार से 'बिहार सचिवालय सेवा' के अंतर्गत लिपिकीय संवर्ग को सहायक के पद पर प्रोन्नति दी गयी है और अवर सचिव के रिक्त पदों पर भी प्रोन्नति के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के भी विभिन्न स्तरों के प्रोन्नति के कार्य अद्यतन हैं।
- विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मियों, पर्यवेक्षकों आदि की रिक्तियों को भरने के लिए **विशेष नियुक्ति अभियान** चलाया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत विशेष परीक्षा नियमावली बनायी जा रही है, जिसके आधार पर अधिकांश विभागों/क्षेत्रीय कार्यालयों के पदों को भरने की कार्रवाई की जा सकेगी।
- 'राज्य महादलित आयोग' के तृतीय प्रतिवेदन की अनुशंसा के आलोक में '**चमार जाति**' (अनुसूचित जाति) के विकास के लिये उन्हें 'महादलित' श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। **'खरवार जाति'** के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तथा इस संबंध में परिपत्र संख्या–5479 दिनांक–10.11.2009 निर्गत किया जा चुका है।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सेवा संवर्ग के 20 संवर्गीय नियमावलियों का अनुमोदन किया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिये '**बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2009**' का गठन किया गया है। शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिये प्रावधान किया गया है।
- डी०एफ०आई०डी० द्वारा वित्त पोषित 'प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम' के कार्यान्वयन हेतु "**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी**" का गठन किया गया है । उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 6 वर्षों के लिये मिशन हेतु वित्तीय सहायता के रूप में 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग अनुदान के रूप में दिया जाना है ।
- **जन–शिकायतों** से संबंधित आवेदनों की सतत् समीक्षा एवं उनके निस्तार हेतु राज्य स्तर पर 10 महत्वपूर्ण विभागों में एवं सभी जिलों में जिला पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों के साथ सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है । उन्हें अपेक्षित सुविधाएँ भी दी जा रही हैं, ताकि आवेदनों का निष्पादन सही समय पर हो सके ।

भवन निर्माण

178.00 करोड़ रू० की लागत पर **विधान सभा भवन तथा सचिवालय विस्तारीकरण** की योजना, 49.90 करोड़ रू० की लागत पर गया में **प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान** का निर्माण तथा 39.7229 करोड़ रू० की लागत पर इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में नये भवन का निर्माण के कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

12.75 करोड़ रू० की लागत पर पटना में स्व० मौलाना मजहरूल हक, स्व० अब्दुल क्यूम अंसारी एवं स्व० गुलाम सरवर मेमोरियल भवन तथा ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण। 16.51 करोड़ रू० की लागत पर गायघाट, पटना में **न्यायिक पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थान** का निर्माण। 30.87 करोड़ रू० की लागत पर जयप्रकाश नारायण प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा के भवन का निर्माण प्रगति में है।

पटना में 325 माननीय विधायकों के लिये **मॉडल आवासन परियोजना, पटना में सम्मेलन केन्द्र (Convention Centre)** का निर्माण तथा पटना में विभिन्न न्यायाधिकरणों की स्थापना हेतु बहुमंजिले भवन के निर्माण से संबंधित परियोजना हेतु प्रारम्भिक कारवाई की जा रही है।

खान एवं भूतत्व विभाग

- वित्तीय वर्ष 2008–09 में 160.00 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 182.22 करोड़ रूपये का राजस्व– संग्रहण किया गया । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी 2010 तक 142.19 करोड़ रूपया का राजस्व–संग्रहण किया गया है, जो गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 19.66 करोड़ रूपया अधिक एवं 16.04 प्रतिशत अधिक है ।
- बालूघाटों की बन्दोबस्ती तीन वर्षों (2010–12) के लिये किये जाने के फलस्वरूप पंचांग वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में बालूघाटों की बंदोबस्ती से राजस्व सुनिश्चित किया गया है ।
- ओ०एन०जी०सी० द्वारा पूर्णियाँ बेसिन के चार जिलों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण के मद में अब तक 1407 लाईन कि० मी० में 2 डी सिस्मिक सर्वे और आँकड़ों का विश्लेषण, 500 जियो केमिकल नमूनों की जांच तथा 404 वर्ग कि० मी० 3 डी सिस्मिक सर्वे किया गया । पश्चिमी चम्पारण जिले में 2227 वर्ग कि० मी० में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण–कार्य के लिये सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति दिनांक–29.10.2009 को दी गई है ।
- भारत सरकार की 'नई कोल नीति' के अनुसार लघु उद्योगों को कोयले के आवंटन के लिये –खान एवं भूतत्व विभाग को 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया गया है ।
- लघु खनिज 'मोरम' की बंदोबस्ती आम नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से प्राकृतिक पारिस्थिकी के संतुलन को बनाये रखने हेतु 'बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली 2010' के द्वारा भविष्य में पत्थर खनन पट्टा स्वीकृत/नवीकृत न करने का प्रावधान किया गया है ।

परिवहन विभाग

नई सरकार द्वारा वर्ष 2006 में करों की दरों को पड़ोसी राज्यों के सुसंगत बनाते हुए भारी कमी की गयी, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है। परिवहन क्षेत्र में देशव्यापी आर्थिक मंदी के बावजूद, वाहनों के निबंधन/बिक्री में वृद्धि हुई है। कुल वाहनों का निबंधन/बिक्री वित्तीय वर्ष 2005.06 में मात्र 80,363 था, जो वित्तीय वर्ष 2008.09 में जनवरी तक 2,20,413 हो गई तथा वर्ष 2009–10 में जनवरी माह तक यह संख्या बढ़कर 267136 हो चुकी है जो गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 55.3 प्रतिशत अधिक है।

Sl. no.	Year	Reg.	% Growth
1	2005-06	80363	
2	2006-07	147309	83.30
3	2007-08	161757	9.81
4	2008-09	220413	36.26
5	2009-10 (Till jan'2010)	267136 Vehicle	23.11

- **राजस्व संग्रहण**. परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2006–07 में 211.00 करोड़ रूपये वर्ष 2007–08 में 245.86 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2008–09 में 303.57 करोड़ रूपये का राजस्व संग्रहण कर राज्य के विकास में योगदान दिया गया। वर्ष 2009–10 में माह जनवरी तक रू० 293.6310 करोड़ रू० का राजस्व संग्रहित हो चुका है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से करीब 21.24 प्रतिशत ज्यादा है।

Sl. no.	Year	Collection	% Growth
1	2005-06	308.47	
2	2006-07	202.14	-34.47
3	2007-08	245.86	21.63
4	2008-09	303.65	23.51
5	2009-10 (Till jan'2010)	293.63	21.08 Compared with Till Jan' 2009

- **कम्प्यूटरीकरण**–परिवहन विभाग द्वारा राज्य के 30 जिलों में स्मार्ट कार्ड आधारित चालक अनुज्ञप्ति एवं निबंधन प्रमाण.पत्र निर्गत करने की योजना आरंभ की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंत तक सभी परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड व्यवस्था लागू करने की योजना है तथा सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं राज्य परिवहन प्राधिकार कार्यालय कम्प्यूटरीकृत हो जाएँगे।

- औरंगाबाद जिला में एक अत्याधुनिक **चालक प्रशिक्षण केन्द्र–सह–शोध संस्थान** स्थापित करने हेतु बियाडा द्वारा भूखण्ड उपलबध करा दिया गया है । इस कार्य हेतु मारूति सूजुकी कम्पनी से परिवहन विभाग विचार–विमर्श कर रहा है।

- **परिवहन सुविधा केन्द्रों का निर्माण**.राज्य के चार जिलों, यथा–मुजफ्फरपुर, गया, खगड़िया एवं नालंदा में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 'परिवहन–सुविधा–केन्द्रों' का निर्माण कराया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस कार्य हेतु कुल 6.92 करोड़ रू० की राशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

- **निजी क्षेत्र में फिटनेस सेंटरों की स्थापना**–वाहनों के फिटनेस तथा प्रदूषण जाँच करने हेतु अबतक 52 निजी उद्यमियों को फिटनेस–केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है । 8 नये केन्द्र खोलने हेतु निबंधन पत्र निर्गत किये जा चुके हैं ।
- **परिहन निगम की बसों हेतु इलेक्ट्रोनिक मशीन टिकट व्यवस्था**– बस यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के अन्दर परिचालित होने वाली बसों में जी०पी०एस० व्यवस्था तथा इलेक्ट्रोनिक मशीन से टिकट देने की सुविधा प्रारम्भ की जा रही है ।
- **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम**–माननीय उच्चतम न्यायालय के वाद संख्या. 7290/94 में दिये गये निर्णय के आलोक में अबतक 206.09 करोड़ रू० की राशि इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- **ई–पेमेंट**–वाहन–मालिकों को ई–पेमेंट के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए जाने की योजना है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहन मालिकों को अपने वाहन कर नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/ प्रीपेड कार्ड/ डेविट कार्ड के माध्यम से बिना जिला परिवहन कार्यालय गये, भुगतान कर सकेंगे।
- **डीलर प्वांइट रजिस्ट्रेशन**–राज्य के 19 जिलों में डीलर–प्वांइट–रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की जा चुकी है, इसके तहत नये वाहन–क्रेताओं को वाहन–क्रय करने के साथ ही निबंधन संख्या आवंटित कर दी जाती है। अब वाहन–स्वामी डीलर अथवा परिवहन कार्यालय दोनों से सुविधानुसार निबंधन–संख्या प्राप्त कर सकते हैं।
- **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन**–बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी के वर्ष 2009–10 के आय–व्यय में परिवहन विभाग के लिए कुल 180.00 लाख रूपये की राशि कर्णांकित की गई है, जिसमें नागरिक केन्द्रित Toll Free हेल्पलाइन हेतु 50 लाख ई.टिकट पथ परिवहन निगम की बसों में हेतु 30 लाख, बसों में GPS प्रणाली हेतु 50 लाख, बस मार्गों पर समय की सूचना एवं अन्य सूचना हेतु 40 लाख तथा राज्य पथ परिवहन निगम को तकनीकी सहायता हेतु 10 लाख रू० का प्रावधान किया गया है ।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

निबंधन प्रक्षेत्र

- नागरिकों को निबंधन हेतु मुद्रांक ड्युटी एवं निबंधन–शुल्क सीधे चिह्नित बैकों में जमा करने की सुविधा दी गयी है। बैंकों में जमा राशि का बैंक के कम्प्यूटर से कम्प्यूटरीकृत सत्यापन की व्यवस्था भी विभिन्न जिला निबंधन कार्यालयों में उपलब्ध है। जाली कोर्ट

फी स्टाम्पों की बिक्री पर कारगर रोक लगाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय में डाकघर के माध्यम से फ्रैंकिंग मशीन द्वारा कोर्ट फी स्टाम्पों की बिक्री की व्यवस्था लागू की गयी है। निकट भविष्य में राज्य के सभी जिला न्यायालयों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। 'स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया' के माध्यम से 'ई–स्टाम्पिंग' लागू किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

- अगले वित्त वर्ष 2010–11 में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय अपनाए जा रहे हैं:–
- राज्य के सभी जिलों में भूमि की खेसरावार पंजी तैयार की जा रही है।
- अगले वित्त वर्ष 2010–11 में राज्य के सभी जिला एवं अनुमंडल न्यायालयों में कोर्ट–फी स्टाम्पों की बिक्री के लिए फ्रैंकिंग मशीन लग जाने से कोर्ट–फी से होने वाली आय में वृद्धि होगी।
- एक वर्ष से कम अवधि वाले लीज एकरारनामा/पट्टा दस्तावेजों का निबंधन अनिवार्य किया जाएगा।
- **बदलैन में छूट**–किसानों को खेती वाली जमीन के बदलैन में स्टाम्प–शुल्क एवं निबंधन शुल्क में पूरी छूट दिए जाने के संबंध में आदेश शीघ्र निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

विगत वर्षों में दस्तावेजों के निबंधन से प्राप्त राजस्व

क्रम सं०	वित्त वर्ष	प्राप्ति (करोड़ में)	वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4
1	2004–05	487.31	16.70
2	2005–06	566.36	16.22
3	2006–07	540.37	4.59 (–)
4	2007–08	694.75	28.57
5	2008–09	770.65	10.92
6	2009–10	764.46 (जनवरी' 2010 तक)	–

पिछले वर्ष 2008–09 में स्टाम्प एवं निबंधन से प्राप्त होने वाली आय में 10.92% की वृद्धि हुई, चालू वित्त वर्ष 2009–10 में स्टाम्प एवं निबंधन से निर्धारित लक्ष्य 925.00 करोड़ के विरूद्ध 20% वृद्धि दर के साथ शत–प्रतिशत प्राप्ति की सम्भावना है।

उत्पाद एवं मद्य निषेध प्रक्षेत्र

- राज्य सरकार के निर्णयानुसार अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने तथा राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से **'नयी उत्पाद नीति, 2007'** पहली जुलाई, 07 से लागू की गयी है। नयी नीति के अन्तर्गत सभी प्रकार की खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती अनिवार्य रूप से लॉटरी द्वारा की जा रही है। इससे आम व्यवसाइयों के साथ–साथ बेरोजगारों को भी इस व्यवसाय से जुड़ने का मौका मिला है, साथ ही शराब–व्यापार के एकाधिकार की समाप्ति, खुदरा शराब के मूल्य का नियंत्रण, सरकारी राजस्व में वृद्धि तथा कर–अपवंचना पर नियंत्रण हुआ है।

- **वर्ष 2004–05 से वर्ष 2009–10 (माह जनवरी, 2010) तक उत्पाद राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्ति (करोड़ रू०)** –

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व	वृद्धि का प्रतिशत
2004–2005	272.53	–
2005–2006	319.70	17.31%
2006–2007	383.87	20.07%
2007–2008	535.56	39.52%
2008–2009	749.15	39.88%
2009–2010	715.06 (जनवरी,10 तक)	–

- वर्ष 2004–05 में पकड़े गये **उत्पाद अभियोगों** की संख्या मात्र 10634 थी, वही यह संख्या वर्ष 2008–09 में बढ़कर 18101 हो गई है ।

- राज्य के 10 जिले, यथा–बक्सर, कैमूर, अरवल, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, किशनगंज, सुपौल, शिवहर एवं बांका में स्वतंत्र रूप से **उत्पाद कार्यालय** नहीं थे, वहाँ उत्पाद कार्यालय का गठन किया गया है एवं 16 नयी **गाड़ियाँ** खरीदकर छापामारी हेतु उपलब्ध कराई गई हैं तथा 10 और गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

- 'बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915' के विभिन्न प्रावधानों का तथा **अनुज्ञप्ति–शर्त्तों** के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 42 एवं 68 में व्यापक संशोधन कर **दण्ड राशि** में वृद्धि कर दी गयी है । साथ ही वित्तीय वर्ष 2009–10 से राजस्व बढ़ाने के लिये विभिन्न करों के मद में बढ़ोतरी की गई है, भारत निर्मित विदेशी शराब पर प्रचलित कर की दरों में 5/–रू० से लेकर 20/–रू० तथा **लेबल–निबन्धन** एवं **नवीकरण** शुल्क में वृद्धि की गई है, जिससे 20 करोड़ रू० अतिरिक्त राजस्व–प्राप्ति अनुमानित

है । **बीयर के प्रचलित** करों की दरों में 2/–रू० से लेकर 4/–रू० तक की **बढ़ोतरी** की गई है, जिससे 5.00 (पाँच) करोड़ रू० अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति अनुमानित है।

- अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये कई अन्य प्रस्ताव विभाग के स्तर पर विचाराधीन हैं। इसमें बीयर बार का वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, बीयर पर प्रचलित आयात और निर्यात शुल्क, ई०एन०ए० पर निर्यात शुल्क, आसवनगृह एवं ब्रिवरीज (बीयर उत्पाद की इकाई) के वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क, बीयर एवं भारत निर्मित विदेशी शराब के बोटलिंग शुल्क तथा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के निर्गमण शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इससे लगभग 60.00 से 65.00 करोड़ रू० की अतिरिक्त वार्षिक राजस्व–प्राप्ति अनुमानित है।
- उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए पहले हाई एवं लो पोटेन्सियल जोन के आधार पर **आवेदन–शुल्क** था, जिसे अब एकीकृत कर हाई पोटेन्सियल जोन के लिए निर्धारित आवेदन–शुल्क ही निर्धारित होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा । पटना नगर निगम क्षेत्र के लिये 7 हजार रू० अन्य नगर निगम 5 हजार रू०, नगर परिषद 4 हजार रू०, नगर पंचायत एवं प्रखंड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो) के लिए 3 हजार रू०, एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लिये 2 हजार रू० आवेदन शुल्क होगा, जो नन रिफन्डेबल है ।
- **छोआ** उठाव की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा छोआ के अनुज्ञप्ति–शुल्कों में प्रति क्वीं० 1/–रू० वृद्धि करने का निर्णय, जिससे 11.00 (ग्यारह) लाख रू० प्रति वर्ष अतिरिक्त राजस्व अनुमानित है।
- पेट्रोल में 5 प्रतिशत **इथनौल** मिलाने की व्यवस्था के तहत 'संचय एवं व्यवहार' के लिए पेट्रोल कम्पनियों को उदारता से अनुज्ञप्ति दी जा रही है।
- बगहा, किशनगंज, लौरिया, सुगौली, गोपालगंज एवं भोजपुर जिलों में **आसवन गृह, बोटलिंग प्लान्ट,** तथा **ब्रिवरेज उद्योग** स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई है और मद्य निषेध के पहलू को उजागर करने हेतु शराब की सभी बोतलों पर कानूनी चेतावनी ''मद्यपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है'' अंकित रहती है ।

वाणिज्य-कर विभाग

- चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए विभाग का राजस्व संग्रहण लक्ष्य रू० 5700 करोड़ निर्धारित किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2008–09 में हुए संग्रहण से 27.53 प्रतिशत अधिक है ।

- माह जनवरी' 2010 तक वाणिज्य कर विभाग द्वारा कुल रू० 3796.72 करोड़ संग्रहित किया जा चुका है, जो विगत वर्ष की इस अवधि की तुलना में 22.08 प्रतिशत अधिक है।

- वैट अंकेक्षण हेतु चयनित सभी व्यवसायियों के लिए बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली–2005 के नियम 22(5) एवं संबंधित प्रपत्र N-IV में वाणिज्य कर विभाग द्वारा अंकेक्षण हेतु स्थल–व्यवसायिक परिसर अथवा अंकेक्षण कार्यालय–को वैकल्पिक (optional) किया गया है ।

- राज्य के व्यवसायियों को कर भुगतान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के निबंधित कर देयी व्यवसायियों को बीमित करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया तथा 50,000 (पचास हजार) व्यवसायियों को बीमा सर्वश्री आई०सी०आई०सी०आई० लौम्बार्ड, जेनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि०, पटन के साथ अनुबंध कर दिनांक–07.07.2009 से प्रारम्भ किया जा चुका है । '**व्यवसायी बीमा दुर्घटना योजना**' में मृत्यु होने पर 2 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है ।

- बिहार सरकार के द्वारा डी०एफ०आई०डी० ब्रिटिश सरकार के सहयोग से **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन** की शुरूआत की गई है । इस मिशन के द्वारा चयनित पांच विभागों में वाणिज्य कर विभाग में प्रशासनिक सुधार के लिए विभाग के कार्यप्रणाली का अध्ययन कार्य किया गया है और उनके सहयोग के लिए विभागीय पदाधिकारियों की **रिफॉर्म सर्पोट यूनिट (आर०एस०यू०)** की स्थापना की जानी है। विभाग में **टैक्स रिसर्च यूनिट** एवं **ट्रेनिंग सेल** स्थापना से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया है ।

- विभागीय अधिसूचना संख्या–एस०ओ० 5, दिनांक 25 जनवरी, 2010 द्वारा भारत के बाहर से **आयातित चीनी** को दिनांक 31.12.2010 तक वैट से विमुक्ति प्रदान की गयी है ।

- अधिसूचना संख्या–एस०ओ० 155, दिनांक 30.07.2009 द्वारा **मखाना** पर कर दर 4 प्रतिशत एवं **कुर्थी, मटर** एवं **राजमा** पर कर दर 1 प्रतिशत कर दी गई है ।

- अधिसूचना संख्या–एस०ओ० 138, दिनांक 22.07.2009 द्वारा सिनेमा नीति, 2007 के अंतर्गत कार्यरत एवं **बंद सिनेमा गृहों** के **उत्क्रमण** एवं **आधुनिकीकरण** हेतु समय–सीमा बढ़ाकर छः माह से दो वर्ष कर दी गई है ।

- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अंतर्गत **वैट प्रतिपूर्ति** मद में वित्तीय वर्ष 2008–09 में 15 अंचल के औद्योगिक इकाइयों को रू० 7.16 करोड़ की प्रतिपूर्त्ति की

गयी है एवं वर्ष 2009–10 में अद्यतन 19 अंचल के औद्योगिक इकाइयों को प्रतिपूर्त्ति हेतु रू० 12.28 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है ।

अब मैं कुछ नए प्रस्ताव लेता हूँ –

- International Finance Corporation ने बिहार के वाणिज्य कर विभाग का अध्ययन कर 'Developing Investment and Growth Oriented Tax Systems, Bihar' रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007–08 मे कर भुगतान करने वाले 43,127 व्यवसायी में से 75 प्रतिशत यानि 35,226 व्यवसायी जिनका सकल आवर्त्त (Gross Turnover) 25 लाख से कम है, से मात्र 19.74 करोड़ राजस्व प्राप्त होता है, जो कुल वाणिज्य कर राजस्व का 0.58 प्रतिशत है। 25–50 लाख सकल आवर्त्त वाले 6 प्रतिशत यानि 2532 व्यवसायी से मात्र 9.93 करोड़ प्राप्त होता है।

  IFC का सुझाव था कि छोटे व्यवसायियों से **एक–मुश्त कर संग्रह** किया जाए, त्रैमासिक विवरणी के स्थान पर वार्षिक सरलीकृत विवरणी (Simplified Annual Return) लिया जाए, किसी प्रकार की Scrutiny समान्यतः नहीं हो तथा विभाग उन व्यवसायियों पर ध्यान केन्द्रित करे जिनसे 99 प्रतिशत कर प्राप्त होता है ।

  अतः प्रस्ताव है कि राज्य के अंदर ही खरीद–बिक्री करनेवाले 40 लाख तक सकल आवर्त (Gross Turn Over) वाले व्यवसायियों से एक मुश्त राशि (मात्र 10 हजार Lumpsum रूपया) लिया जाए । वे इस राशि को अधिकतम दो किस्त में जमा कर सकते हैं। ऐसे छोटे दुकानदारों को वर्ष में केवल एवं विवरणी (Annual Return) दाखिल करनी होगी तथा सामान्यतः उनकी किसी प्रकार की Audit या Scrutiny नहीं होगी । Inter state खरीद–बिक्री करने वाले तथा 40 लाख से ज्यादा की बिक्री वाले इस योजना में शामिल नहीं होंगे। इस योजना का नाम '**छोटे व्यवसायी कर योजना**' (Small dealer tax scheme) होगा ।

- पीतल, काँसा के बर्त्तन का इस्तेमाल मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। पटना जिला स्थित परेब में पीतल, काँसा के बर्त्तनों का घरेलू उद्योग है जिसमें सैकड़ों लोग लगे हैं। वर्त्तमान प्रावधान के अंतर्गत 'पीतल एवं धातु से बनी दस्तकारी एवं घरेलू समान' 'Handicrafts, Households articles made of brass and bell metal' कर मुक्त है, परन्तु इनसे बने बर्त्तन पर 4 प्रतिशत कर लगता है ।

  अतः प्रस्ताव है कि पीतल एवं Bell Metal से बनी दस्तकारी एवं घरेलू समान के साथ–साथ इनसे बने बर्त्तन को भी कर मुक्त श्रेणी में रखा जाए।

- सूती एवं सिल्क धागा यदि लच्छे (Loose) Hank के रूप में बँधा होता है तो वह कर

मुक्त श्रेणी में है परन्तु जब वही सूती एवं सिल्क धागा Cone यानी लकड़ी के Cone पर लपेटा रहता है तो उस पर 4 प्रतिशत कर लगता है । हजारों बुनकर इस उद्योग से जुड़े है और Cone पर लपेटे धागे का ही इस्तेमाल करते हैं । Packing के आधार पर कर की दर अलग–अलग उचित नहीं है ।

अतः प्रस्ताव है कि Cone पर लपेटे सूती या सिल्क धागा को भी कर मुक्त श्रेणी में रखा जाए ।

- बिहार में हजारों मजदूर **बीड़ी** बनाने के काम में लगे हैं । राज्य में बीड़ी में इस्तेमाल होनेवाला तम्बाकू कर मुक्त है परन्तु उसपर 8 प्रतिशत प्रवेश कर है जिसका समायोजन (set off) नहीं हो पाता है । पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल में (बीड़ी तम्बाकू) पर प्रवेश कर का प्रावधान नहीं हैं । परिणामतः यहाँ की बनी बीड़ी महँगी हो जाती है, जिससे नियोजक धीरे धीरे अपना काम समेट रहे हैं, और हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने का खतरा है ।

  अतः प्रस्ताव है कि बीड़ी में प्रयुक्त होनेवाले तम्बाकू पर लगने वाले प्रवेश कर (Entry Tax) को समाप्त किया जाए ।

- अधिकतम खुदरा मुल्य (Maximum Retail Price) पर सामान बेचनेवाले दवा, खाद, कीटनाशक दवा आदि व्यवसायी की कोई कर देयता (tax liability) नहीं बनती है, क्योकि इनसे प्राप्त होनेवाला कर (जंग) प्रथम बिन्दु पर ही संग्रह कर लिया जाता है। कर देयता नहीं होने के बावजूद इन्हे त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की बाध्यता है।

  अतः प्रस्ताव है कि MRP पर वस्तु बेचनेवाले जिनकी कोई कर–देयता नहीं है वर्ष में केवल एक ही विवरणी (Annual Return) दाखिल करेंगे ।

- मेन्था तेल उत्पादन में बिहार देश में दूसरे स्थान पर उभर रहा है । करीब 3–4 हजार टन उत्पादन हो रहा है। यह सारा तेल बाराबंकी उत्तर प्रदेश चला जाता है, क्योकि यहाँ किसी अनुसूची में नहीं होने के कारण 12.5 प्रतिशत टैक्स अधिरोपित है ।

  अतः मेन्था तेल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इसे कर मुक्त श्रेणी में रखने का प्रस्ताव है ।

- वैट के अनुसची III के क्रमांक 16 में 'Barley' का उल्लेख है जबकि हिन्दी में इसे 'जौ' लिखा गया है । बार्ली का अर्थ डिब्बाबंद 'बार्ली' से होता है जबकि जौ मोटा अनाज है।

  अतः प्रस्ताव है कि Barley पर यथावत् 4 प्रतिशत ही रहेगा परन्तु अन्य मोटे अनाज पर लगने वाले 1 प्रतिशत कर के समतुल्य '**जौ**' को भी 1 प्रतिशत कर वाली अनुसूची में रखा जाए।

- 40 लाख से अधिक की बिक्री करनेवाले सभी व्यवसायियों को अगले वित्तीय वर्ष 2010–11 से ई–विवरणी (e-Return) एवं ई–भुगतान (e-payment) अनिवार्य होगा । 1 अप्रैल 2010 से 1 करोड़ से अधिक बिक्री वाले व्यवसायियों को प्रथमतः इस दायरे में लाया जाएगा । 6 माह के बाद 40 लाख से 1 करोड़ तक बिक्री करने वाले व्यवसायियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा ।

- ई–पेमेन्ट के लिए स्टेट बैंक के अलावा अन्य बैंकों को भी शामिल किया जा रहा है ।

- Direct to Home (DTH) का इस्तेमाल करनेवाले उपभोक्ता 15 रू० प्रति माह मनोरंजन कर का भुगतान करते हैं । DTH के अन्तर्गत अनेक योजनाएँ (Package) हैं, जो 100 रू० से प्रारम्भ होकर 1000 रू० प्रतिमाह तक हैं, परन्तु प्रत्येक श्रेणी का उपभोक्ता मात्र 15 रू० ही देता है ।

  अतः प्रस्ताव है कि DTH सुविधा उपलब्ध कराने वाले कंपनी या व्यवसाई कुल राशि का 15 प्रतिशत मनोरंजन कर के रूप में भुगतान करेंगे ।

- टेलीविजन, विडियो आदि के प्रार्दुभाव के बाद सिनेमा घर उद्योग मरणासन्न है । इस क्षेत्र में नया निवेश नहीं आ रहा है, बल्कि पुराने सिनेमा घर भी बंद हो रहे हैं । देश के अनेक राज्यों में सिनेमा घरों के रख रखाव हेतु अलग से रख–रखाव–शुल्क (Maintenance fee) लगता है, जिसका इस्तेमाल सिनेमा घरों के रख रखाव पर किया जाता है ।

  प्रस्ताव है कि सिनेमा घरों के रख–रखाव–शुल्क (Maintenance fee) को मनोरंजन कर के दायरे से बाहर रखा जाए । नगर विकास विभाग Maintenance fee की दर निर्धारित करेगा ।

- 'बिहार वित्त अधिनियम, 1981' के अन्तर्गत विभिन्न अपीलीय प्राधिकारों/न्यायालयों में 3347 मामले वर्षों से लम्बित हैं, जिसमें 1703.33 करोड़ की राशि सन्निहित है । ये सारे मामले वैट अधिनियम लागू होने के पहले के मामले हैं । अनेक राज्यों ने इन पुराने मामलों के निष्पादन हेतु **कर समाधान योजना** लागू की है ।

  प्रस्ताव है कि बंगाल के तर्ज पर बिहार में भी **एकमुश्त कर समाधान योजना** (One time Tax Settlement) लागू की जाए ।

- विद्युत (Electricity) के विक्रय पर विद्युत शुल्क (Electricity Duty) का प्रावधान है । 5 KVA से अधिक के Generator से अपने निजी उपयोग के लिए तथा Captive Power generation पर भी विद्युत शुल्क का वर्तमान अधिनियम में प्रावधान है ।

राज्य में बिजली का अभाव है । ऐसी स्थिति में जो लोग विद्युत उत्पादित कर स्वयं इस्तेमाल कर रहे है उनसे विद्युत शुल्क उचित नहीं है । अतः प्रस्ताव है कि Generator या Captive Power Plant से जो लोग विद्युत पैदा कर विक्रय (Sale) नहीं करते है बल्कि स्वयं इस्तेमाल करते हैं उन्हें विद्युत शुल्क से मुक्त रखा जाए ।

- प्रवेश कर (Entry Tax) का समायोजन (Set Off) भुगतान किये जाने वाले VAT से किए जाने का प्रावधान है । परन्तु कुछ वस्तुओं यथा घरेलू रसोई गैस (LPG), पर वैट की दर 1 प्रतिशत है और प्रवेश कर 4 प्रतिशत है । उसी प्रकार प्लाइवुड आदि पर वैट की दर 4 प्रतिशत है और प्रवेश कर 8 प्रतिशत है । यह विसंगति (Distortion) है जिसका विपरीत प्रभाव व्यवसाय पर पड़ रहा है।

  अतः प्रवेश कर की दर को वैट दर के सुसंगत बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

- झारखंड अलग होने के बाद उद्योग में इस्तेमाल होने वाला अधिकांश कच्चा माल Raw material राज्य के बाहर से आता है । अनेक प्रकार के Raw material पर प्रवेश कर है, जिसके कारण यहॉ उत्पादित माल अन्य राज्यों की तुलना में महँगा हो जाता है।

  अतः प्रस्ताव है कि उद्योग के इस्तेमाल में आनेवाले कच्चा माल (Raw material) को Entry Tax से मुक्त किया जाए ।

- नई औद्योगिक नीति–2006 के अन्तर्गत राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमी को अनेक प्रकार की रियायतें दी गयी हैं परन्तु उद्योग लगाने के इस्तेमाल में आने वाले Plant & Machinery के अनेक सामानों पर Entry Tax है । एक ओर राज्य सरकार रियायत दे रही है दूसरी ओर Plant & Machinery के कुछ उपकरणों पर प्रवेश कर देना पड़ता है । अतः प्रस्ताव है कि Plant & Machinery के अंतर्गत जिन वस्तुओं पर Entry Tax देना पड़ता है, उन्हें Entry Tax के दायरे से अलग रखा जाए ।

- VAT refund तथा VAT reimbursement प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है । अतः VAT refund तथा VAT reimbursement की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा ।

- 'औद्योगिक नीति, 1995' के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयों को कर–विमुक्ति की सुविधा प्रदान की गई थी, किन्तु वैट लागू होने पर 1.04.2005 से इस सुविधा के स्थान पर वैट के अन्तर्गत कर–आस्थगन (Tax deferment) की सुविधा दी गई है । औद्योगिक नीति 1995 में राज्य सरकार ने जो प्रावधान किए, वह सरकार की प्रतिबद्धता है ।

अतः प्रस्ताव है कि कर विमुक्ति की सुविधा को वैट के अन्तर्गत भी स्वीकृत किया जाए।

- 'औद्योगिक नीति 2006' के अधीन वर्तमान एवं नई औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्रोत्साहन के रूप में वैट की प्रतिपूर्ति की जाती है, किन्तु प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति नहीं है। प्रस्ताव है कि उद्योगों को लगने वाले प्रवेश कर को भी प्रतिपूर्ति में शामिल किया जाए ।

- राज्य में लघु, मध्यम, बीमार उद्योगों के लिए प्रवेश कर के सामंजन की व्यवस्था है, परन्तु बृहद क्षेत्र के लिए सामंजन की व्यवस्था नहीं है, परिणामतः वृहद क्षेत्र के उद्योग में पूँजी निवेश में कठिनाई आ रही है ।

  अतः प्रस्ताव है कि कारपोरेट क्षेत्र को छोड़कर एक निश्चित सीमा वाले वृहद उद्योग को भी प्रवेश कर के सामंजन की सुविधा दी जाए ।

- नई औद्योगिक नीति में नई औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ कार्यरत इकाइयों के लिए वैट की प्रतिपूर्ति हेतु 25 प्रतिशत प्रावधान है । होटल उद्योग वैट के स्थान पर Luxury Tax का भुगतान करते हैं ।

  अतः प्रस्ताव है कि कार्यरत इकाइयों को जो Luxury Tax का भुगतान करते हैं, उन्हें वैट के समान ही प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया जाए ।

- होटल या सेवा प्रक्षेत्र के उद्यम आदि जो विद्यमान अंचल पूँजी निवेश के अनअवमूल्यित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिक राशि का अतिरिक्त अचल पूँजी निवेश करेगे, उन्हें वैट / लग्जरी टैक्स की छूट / प्रतिपूर्ति के योग्य माना जाएगा । उन्हें मूल (original) इकाई / उद्यम में अनअवमूल्यित अथवा पूँजी निवेश तथा विस्तार, विशाखन / आधुनिकीकरण के बाद अतिरिक्त अंचल पूँजी निवेश के अनुपात में नई इकाइयों की तरह छूट / सुविधा देय होगी ।

- सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नए सिरे से समीक्षा करेगी ।

महोदय,

अब मैं राज्य के आय एवं व्यय के आँकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा :—

- **अपने स्रोतों से आय**

राज्य का अपने स्रोतों से राजस्व लगभग **11850.67** करोड़ रूपये सम्भावित है, जिसमें से कर राजस्व 10643.93 करोड़ रूपये तथा कर भिन्न राजस्व 1206.74 करोड़ रूपये है । वर्ष 2009—10 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य का कर राजस्व 8141.28 करोड़ रूपये तथा कर भिन्न राजस्व 968.31 करोड़ रूपये, कुल राजस्व 9109.59 करोड़ रूपये था। वित्तीय वर्ष 2009—10 में जनवरी 2010 तक वाणिज्य—कर विभाग द्वारा 3796 करोड़ रूपये, उत्पाद विभाग द्वारा 715 करोड़ रूपये, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में 764 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग में 294 करोड़ रूपये एवं कर भिन्न राजस्व में खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा 142 करोड़ रूपये की वसूली की गई है ।

- **राज्य को केन्द्र सरकार से अनुदान**

वर्ष 2010—11 में राज्य को विभिन्न योजनाओं में सहायक अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार से लगभग 11784 करोड़ रूपये की प्राप्ति सम्भावित है । इसमें गैर योजना मद में 1,812 करोड़ रूपये, राज्य योजनागत स्कीमों के लिये 5905 करोड़ रूपये, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये 3822 करोड़ रूपये तथा केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये लगभग 244 करोड़ रूपये शामिल हैं ।

(क) गैर योजना मद

- वित्त आयोग की अनुशंसा पर — 1,606 करोड़ रूपये
- आपदा राहत निधि में — 126 करोड़ रूपये
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण — 81 करोड़ रूपये

(ख) राज्य योजना हेतु केन्द्रीय अनुदान

राज्य योजना के लिये केन्द्रीय अनुदान के रूप में 5905 करोड़ रूपये की राशि चिन्हित की गयी है:—

- पिछड़ा क्षेत्र/जिला निधि कार्यक्रम — 1801 करोड़ रूपये
- राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना — 1100 करोड़ रूपये

* सामान्य केन्द्रीय सहायता – 1032 करोड़ रूपये
* त्वरित सिंचाई लाभ योजना – 660 करोड़ रूपये
* राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – 611 करोड़ रूपये
* वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में विशिष्ट कार्यों के लिये – 311 करोड़ रूपये
* वाह्य संपोषित परियोजना के लिए – 183 करोड़ रूपये
* राष्ट्रीय कृषि विकास योजना – 73 करोड़ रूपये
* सड़क और पुल – 45 करोड़ रूपये
* सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम – 35 करोड़ रूपये
* ई–प्रशासन के लिये – 29 करोड़ रूपये
* बेसहारा बालिकाओं के लिये पौष्टिक आहार – 15 करोड़ रूपये
* अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए – 6 करोड़ रूपये
* संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत – 3 करोड़ रूपये

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमों के अनुदान मद में कुल 3822 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसमें से:–

* सामान्य शिक्षा एवं अन्य प्रौढ़ शिक्षा – 1150 करोड़ रूपये
* बाल कल्याण के लिये – 880 करोड़ रूपये
* त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिये – 592 करोड़ रूपये
* बाढ़ नियंत्रण के लिए – 376 करोड़ रूपये
* परिवार कल्याण के लिये – 300 करोड़ रूपये
* अल्पसंख्यक कल्याण के लिए – 293 करोड़ रूपये
* कृषि कार्य के लिए – 78 करोड़ रूपये

- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए – 49 करोड़ रूपये
- पशुपालन के लिए – 27 करोड़ रूपये
- भारत निर्माण योजना के लिए – 25 करोड़ रूपये
- माध्यमिक शिक्षा – 10 करोड़ रूपये
- मत्स्य के लिए – 9 करोड़ रूपये
- वन विभाग के लिए – 5 करोड़ रूपये
- त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए – 3 करोड़ रूपये
- ग्राम तथा लघु उद्योग के लिए – 2 करोड़ रूपये
- जनगणना तथा सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी के लिए – 2 करोड़ रूपये
- कला संस्कृति के लिए – 2 करोड़ रूपये

(घ) केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत

केन्द्रीय योजनागत योजना स्कीमों के अनुदान मद में कुल 244 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसमें सेः–

- मुख्य सिंचाई हेतु – 125 करोड़ रूपये
- बाढ़ नियंत्रण हेतु – 78 करोड़ रूपये
- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु – 25 करोड़ रूपये
- अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु – 11 करोड़ रूपये
- कृषि कार्य के लिए – 5 करोड़ रूपये

- **राज्य द्वारा लिये जानेवाले ऋण**

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में कुल 6500.88 करोड़ रूपये के ऋण लेना प्रावधानित है। इसमें से केन्द्र सरकार से मात्र 1405 करोड़ रूपये प्राप्त होगा, जो वाह्य संपोषित परियोजना के लिए है, जबकि वर्ष 2009–10 में पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल 5574.40 करोड़ रूपये ऋण प्रस्तावित है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में राजकोषीय सुधार पथ के आलोक में वित्तीय वर्ष

2010–11 में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत तक अधिसीमित किया जाना है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में 2009–10 की तुलना में 926.48 करोड़ रूपये अधिक ऋण लिया जाना प्रस्तावित है ।

राज्य का व्यय

- राज्य के व्यय को मुख्यतः तीन श्रेणी, यथा– सामान्य सेवायें, सामाजिक सेवायें एवं आर्थिक सेवाओं के रूप में लेखाकिंत किया जाता है ।

आर्थिक सेवायें

- आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप, ग्रामीण विकास, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग व खनिज, पथ, परिवहन आदि प्रक्षेत्र हैं । इन सेवाओं के लिये वर्ष 2010–11 में 15934 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

सामाजिक सेवायें

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेय जल आपूर्त्ति एवं सफाई, आवास और शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, श्रमिक कल्याण, समाज कल्याण आदि प्रक्षेत्र हैं । इन सेवाओं के लिये वर्ष 2010–11 में 19342 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

सामान्य सेवायें

- सामान्य सेवाओं के अंतर्गत राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद्, न्याय प्रशासन, चुनाव, राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग, सूद, पेंशन, लोक सेवा आयोग, सचिवालय, जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण कार्य इत्यादि पर होने वाले व्यय को रखा जाता है । इन सेवाओं के लिए वर्ष 2010–11 में 15832 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

अब मैं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के पुनरीक्षित बजट अनुमानों तथा अगले वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

- वर्ष 2010–11 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 47235 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित अनुमान 37869 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 9366 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक प्राप्त होगा ।

- वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियाँ 5603 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में 6515 करोड़ रूपये प्राप्त होना संभावित है, जो वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 912 करोड़ रूपये अधिक होगा। पूंजीगत प्राप्ति में ऋण की राशि भी सम्मिलित रहती है ।
- वर्ष 2009–2010 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में राजस्व व्यय 37696 करोड़ रूपये आंकी गई थी। वर्ष 2010–11 में राजस्व व्यय 40678 करोड़ रूपये आंका गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2982 करोड़ रूपये अधिक है ।
- वर्ष 2009–2010 के पुनरीक्षित अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 11856 करोड़ रुपये आंका गया है जबकि वर्ष 2010–2011 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) 13080 करोड़ रूपये है। वर्ष 2010–11 में पूंजीगत व्यय (ऋण सहित) पिछले वर्ष की तुलना में 1224 करोड़ रूपये अधिक है।
- राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का 2009–2010 का पुनरीक्षित बजट अनुमान 49552 करोड़ रूपये का है । वर्ष 2010–2011 में 53759 करोड़ रूपये का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय होने का अनुमान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4207 करोड़ रूपये अधिक है ।
- वर्ष 2010–2011 में राज्य की वार्षिक योजना 20,000 करोड़ रूपये की है। योजना उद्व्यय के अनुरूप 20,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत योजना के अंतर्गत 4076 करोड़ रूपये का व्यय होना प्रस्तावित है।
- **आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–**

(राशि करोड़ रूपयें में)

क्र. सं	विवरण	2009–10 का पुनरीक्षित प्राक्कलन	2010–11 का बजट प्राक्कलन
1	2	3	4
1	कुल राजस्व प्राप्ति (2+3)	37869.38	47235.06
2	राज्य सरकार का राजस्व	9109.59	11850.67
3	केन्द्र से प्राप्त राजस्व	28759.78	35384.39
4	राजस्व व्यय	37696.01	40678.36
5	राजस्व बचत (+)/घाटा (–) (1–4)	173.37	6556.70
6	पूंजीगत व्यय (ऋण वसूली एवं व्यय छोड़कर)	9943.34	11150.26
7	कुल व्यय (ऋण छोड़कर) (4+6)	47639.35	51828.62

8	राजकोषीय बचत (+)/घाटा(–)(5–6)	–9769.95	–4593.56
9	ऋण अदायगी	1884.16	1915.57
10	कुल राशि की आवश्यकता (9–8)	11654.11	6509.13
11	ऋण उगाही	5574.40	6500.88
12	लोक लेखा से प्राप्ति (निवल)	445.74	353.04

वित्तीय वर्ष 2010–11 में पूंजीगत व्यय 11150.26 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, जो वित्तीय वर्ष 2009–10 के पुनरिक्षित की तुलना में 1206.92 करोड़ रूपये अधिक है । वित्तीय वर्ष 2010–11 में 6500.88 करोड़ रूपये का ऋण लिया जाना होगा, जिसमें से 1915.57 करोड़ रूपये की राशि पुराने ऋणों की अदायगी के लिए व्यय होगी और शेष राशि पूंजीगत व्यय के वहन करने के लिए उपयोग की जायेगी ।

वित्त विधेयक 2010 में सम्मिलित मुख्य प्रस्ताव

अब मैं बिहार वित्त विधेयक 2010 के मुख्य प्रावधानों से सदन को अवगत कराना चाहूँगा । राज्य के औद्योगिकीकरण एवं व्यवसाय के माहौल को उदार बनाने हेतु तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए करारोपण को युक्तियुक्त किया जा रहा है । इस निमित्त बिहार वित्त विधेयक 2010 तैयार किया गया है जिसकी एक प्रति माननीय सदस्यों को बजट पुस्तिकाओं के साथ उपलब्ध करायी गयी है ।

इस विधेयक के तीन हिस्से है :–

1. भाग–1 मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम–27) में संशोधन इसके अन्तर्गत 40 लाख तक के वार्षिक सकल आवर्त्त वाले व्यवसायियों को बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत समाहितिकरण योजना के अन्तर्गत एकमुश्त कर भुगतान की व्यवस्था की जा रही है । इससे राजस्व में ह्रास होने की भी संभावना नहीं है क्योंकि अभी अनेक छोटे व्यवसायी निरीक्षण, अंकेक्षण, समीक्षा एवं अन्य परेशानियों से घबराते हुए अनिबंधित रहना चाहते हैं । आशा की जाती है कि इस संशोधन के बाद काफी बड़ी संख्या में ऐसे छोटे व्यवसायी Tax net के अन्तर्गत आना चाहेंगे । इससे व्यवसाय के लिए राज्य में एक अच्छा माहौल भी बनेगा ।

2. भाग–2 में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम1994 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव है :–

(i) बैटरी चालित वाहनों को कुल मोटर वाहन कर पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

(ii) वैसे स्टेज कैरेज जिनकी बैठान क्षमता 13 व्यक्तियों से कम नहीं हो तथा जो नगर निगम की सीमाओं के अन्तर्गत चलाते हों, को प्रतिवर्ष कुल कर पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

(iii) पुरानी गाड़ियों के चलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, अतः बढ़ते हुए प्रदूषण से वातावरण को बचाने के लिए 12 वर्षों से अधिक पुराने परिवहन वाहन (तीन पहिया वाहन, ट्रैक्टर एवं ट्रक को छोड़कर) पर 10 प्रतिशत हरित कर (Green Tax) लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

(iv) गैर कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाये जाने वाले ट्रैक्टर पर उसके क्रय मूल्य पर (वैट को छोड़कर) 1 प्रतिशत आजीवन कर देय होगा । यदि कोई ट्रैक्टर पूर्व से निबंधित है तो देय एकमुश्त कर से पूर्व में जमा किए गए कर को घटाकर कर की गणना की जाएगी । इसी प्रकार तीन हजार किलोग्राम के निबंधित लदान से कम तथा तीन हजार से अधिक क्षमता वाले ट्रेलर को एकमुश्त क्रमशः चार हजार एवं छः हजार की राशि भुगतान करनी होगी । पूर्व में किए गए कर के भुगतान को इस एकमुश्त राशि से घटाया जाएगा।

(v) निर्धारित तिथि से पूर्व कर भुगतान के लिए सम्प्रति 5 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था है । वाहन मालिक समय पर कर का भुगतान करें इसके लिए इस राशि को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है ।

(vi) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता वाले तीन पहिया वाहन (टेम्पों इत्यादि) को प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिये एक मुश्त 5 हजार रूपये तथा 10 वर्षों के बाद भी यदि वे पुराने वाहन को चलाना चाहते हैं तो उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए पुनः 5 हजार की राशि भुगतान करनी होगी । इसी प्रकार सात व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता वाले तीन पहिया वाहनों पर प्रथम 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर 7500 रूपये होगा तथा अगले 5 वर्षों के लिए पुनः 7500 की राशि देनी होगी । इस व्यवस्था से उन्हें प्रत्येक वर्ष वाहन कर चुकाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और एकमुश्त भुगतान कर देने से राशि की भी बचत होगी।

3. भाग–3

(i) बिहार मनोरंजन कर अधिनियम 1948 में संशोधन – अभी राज्य के सिनेमा घरों में मनोरंजन कर संग्रहित करने के दो तरीके है । पहले तरीके के अनुसार सिनेमा मालिकों के द्वारा जितने शो किए गए तथा उसमें जितने दर्शक आये तथा उनसे जितनी राशि वसूल हुई उन आँकड़ों की गणना कर उन्हें अपना रिटर्न देना होता है। दूसरे तरीके के अनुसार वाणिज्यकर विभाग द्वारा उनसे शो की निर्धारित संख्या,

दर्शकों की अनुमानित संख्या तथा प्रवेश कर के आधार पर एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी जाती है जिसके अनुसार सिनेमा मालिक कर का भुगतान करते हैं। यह देखा गया है कि पहली विधि में कर की वंचना हो रही है, अतः यह प्रस्तावित है कि अब दूसरे तरीके से ही सिनेमा मालिकों पर मनोरंजन करारोपण किया जाए ।

(ii) सिनेमा हॉल के भवन Air Conditioning इत्यादि का भलीभॉति अनुरक्षण हो इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश शुल्क की राशि में एक छोटी राशि निर्धारित की जा रही है । इस पर सिनेमा मालिकों को मनोरंजन कर नहीं देना होगा जिससे वे हॉल का सही तरीके से रख–रखाव कर सकेंगे ।

(iii) अभी टी०वी० चैनल देखे जाने के दो स्रोत हैं पहला केबल के माध्यम से दूसरा डाइरेक्ट टू होम (डी०टी०एच०) के अन्तर्गत सेट–अप–बॉक्स के माध्यम से 1 केबल के माध्यम से सम्प्रति प्रति कनेक्शन 15 रूपये की राशि ली जाती है । इस राशि में कोई परिवर्त्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं है किन्तु जो उपभोक्ता डाइरेक्ट टू होम (डी०टी०एच०) की सुविधा लेते हैं उनके संदर्भ में मनोरंजन प्रदान करने वाले एजेन्सी पर कुल संग्रहित राशि का 15 प्रतिशत से अन्यून तथा 25 प्रतिशत से अनधिक करारोपण किए जाने का प्रस्ताव है ।

महोदय,

पिछले 4 वर्षों में वर्त्तमान सरकार ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का अथक प्रयास किया है । विकास के सभी मानकों पर सबसे निचले पायदान पर बैठा बिहार अब प्रगति के पथ पर चल पड़ा है । 'BIMARU' राज्यों की पंक्ति से बाहर निकलकर 2015 तक विकसित राज्य बनने की ओर बिहार कदम बढ़ा चुका है । अभी लम्बी दूरी तय करना है, लेकिन सफर शुरू हो चुका है ।

न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है
अभी तो सफर शुरू किया है
न हारूँगा हौसला उम्र भर
मैनें किसी से नहीं खुद से वादा किया है ।

इन शब्दों के साथ मैं वर्ष 2010–11 की वार्षिक वित्तीय विवरणी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ । संबंधित अनुदान की माँगे एवं अन्य बजट दस्तावेजों को माननीय सदस्यों के समक्ष परिचारित कर रहा हूँ ।

जय बिहार ! जय भारत !! वन्दे मातरम् !!!